शोध पत्रों को प्रकाशित करने के लिए विधि मान्य आई.एस.एस.एन 2321–9645

कल, आज और कल भी बहुपयोगी

विश्व स्नेह समाज

वर्ष 20, अंक 07, अप्रैल 2021

हिन्दी मासिक, एक रचनात्मक क्रांति

हिम्मत से बढ़ाए हिम्मत

आप सभी पाठकों को रामनवमी की बधाई

मूल्य : 15 रुपये

चतुर्थ काव्य सम्राट प्रतियोगिता

पुरस्कार राशि 11000/रुपये मात्र

इस प्रतियोगिता में उम्र का कोई बंधन नहीं है. देश-विदेश का कोई भी रचनाकार इसमें प्रतिभाग कर सकता है. दिए गए विषय पर आपको अपनी एच रचना पठनीय हस्तलिपि अथवा टंकित कराकर भेजनी होगी। रचना के साथ अपना पूरा नाम, पता, एक फोटो, ह्वाट्सएप नंबर अगर ई-मेल हो ईमेल आईडी भेजना होगा। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि रचना वाचन में अधिकतम पांच मिनट की हो.

नियम एवं शर्तेः

1. रचना मौलिक होनी चाहिए. इसके लिए मौलिकता का प्रमाण देना आवश्यक होगा। किसी भी स्तर पर मौलिकता में कमी सिद्ध होने पर प्रतिभागिता रद्द कर दी जाएगी।
2. प्रतियोगिता तीन चरणों में होगी. प्रत्येक चरण के विजयी प्रतिभागियों को ह्वाट्स समूह, ई-मेल के माध्यम से जानकारी दी जाएगी.
3. प्रथम चरण के विजयी प्रतिभागियों को विश्व स्नेह समाज की मासिक पत्रिका एक वर्ष की सदस्यता तथा एक सौ रुपये मूल्य की पुस्तकें निःशुल्क दी जाएगी।
4. द्वितीय चरण के लिए केवल 15 रचनाकारों का चयन किया जाएगा. द्वितीय चरण के विजयी प्रतिभागियों को विश्व स्नेह समाज की मासिक पत्रिका दो वर्ष की सदस्यता तथा दो सौ रुपये की पुस्तकें निःशुल्क दी जाएगी।
5. तृतीय एवं अंतिम चरण के लिए 11 रचनाकारों का चयन किया जाएगा. तृतीय चरण में पहुंचने वाले प्रतिभागियों को स्वयं उपस्थित होकर काव्य पाठ करना होगा। प्रथम स्थान पाने वाले प्रतिभागी को 11000/रुपये नगद एवं काव्य सम्राट की उपाधि, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वालों को स्मृति चिन्ह और प्रमाण पत्र तथा शेष 08 प्रतिभागियों को प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाएगा। तृतीय चरण के समस्त प्रतिभागियों को विश्व स्नेह समाज की मासिक पत्रिका पंचवर्षीय सदस्यता तथा तीन सौ रुपये मूल्य की पुस्तकें निःशुल्क दी जाएगी।
6. प्रतिभागियों को मांगे गये विवरण के साथ रुपये पांच सौ का चेक/डीडी/आरटीजीएस/नेफ्ट/आन लाईन अथवा सीधे संस्थान के खाते में जमा कर जमा रसीद की प्रति भेजना अनिवार्य होगा।

खाता धारक का नामः **'सचिव विष्व हिन्दी साहित्य सेवा संस्थान, इलाहाबाद'**
बैंक का नाम : **युनियन बैंक ऑफ इंडिया** शाखा : **प्रीतम नगर, इलाहाबाद**
खाता संख्याः **538702010009259** आई.एफ.एस. कोडः **यूबीआईएन 0553875**

विषय : भ्रष्टाचार

आवेदन की अंतिम तिथि 15 दिसम्बर 2021

सचिव, विश्व हिन्दी साहित्य सेवा संस्थान
एलआईजी–93, नीम सराय कॉलोनी, प्रयागराज-211011, ह्वाटसएप नंः 9335155949,
sahityaseva@rediffmail.com, hindiseva15@gmail.com

कल, आज और कल भी बहुपयोगी

विश्व स्नेह समाज

मासिक, वर्ष:20, अंक: 07
अप्रैल : 2021

इस अंक में......

न्यायपालिका और हिन्दी : अवरोध और चुनौतियाँ... 5

देवरहा बाबा, एक ऐसे संत जिसके पैरो के नीचे अपना सिर रखने नेता व अंग्रेज तक आते थे!..............14

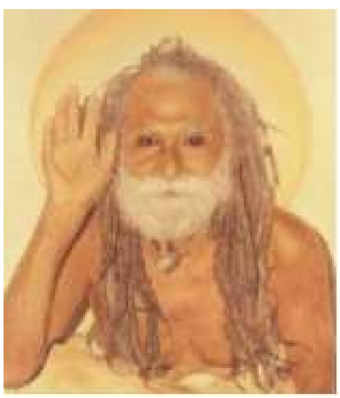

स्थायी स्तम्भ

अपनी बातः घर-घर थैली पहुंचाएगे 04
सोसल मीडिया से 12, 13, 36
समाज : हमें अपने सांस्कृतिक मूल्यों में 17
व्यंग्य : नहीं साहब घर पर है 21
परिचर्चा : भक्ति कालीन संत काव्य......... 26
कविताए/गीत/ग़ज़लः पूर्णिमा उमेष झेडे, सुरेष चन्द्र सर्वहारा, डॉ0 संतोष गौड़ राष्ट्रप्रेमी, संगीता शर्मा, हितेश कुमार शर्मा, मेघा पी. यादव, मुकेश ऋषि वर्मा, ...24, 25
कहानीः एक बीज आशा का, माँ झूठ बोलती है............18, 31
साहित्य समाचार, ... 31,34, 35, 37
लघु कथाएंः शबनम शर्मा, सीता राम गुप्ता 32
दर्शकों को निराश किया....... 33

मुख्य संरक्षक
श्री बुद्धिसेन शर्मा
संरक्षक सदस्य
श्री डी.पी.उपाध्याय, बलिया, उ.प्र.

प्रबंध सम्पादक
श्रीमती जया
विज्ञापन प्रबंधक
महेन्द्र कुमार अग्रवाल

ब्यूरो
ब्रज बिहारी ब्रजेश, खीरी
निगम प्रकाश कश्यप, मिर्जापुर, उ.प्र.

सम्पादक
गोकुलेश्वर कुमार द्विवेदी

संपादकीय कार्यालयः
एल.आई.जी.–93, नीम सराय कालोनी, मुण्डेरा, इलाहाबाद –211011 का0: 09335155949
ई–मेलःvsnehsamaj@rediffmail.com

सभी पद अवैतनिक हैं
पत्रिका में प्रकाशित रचना का कोई भी पारिश्रमिक देय नहीं है।
प्रिंट लाईन–विश्व स्नेह समाज राष्ट्रीय हिन्दी मासिक पत्रिका, यूपीहिन्दी/2001/8380, सर्वाधिकार सुरक्षित है. स्वामी की लिखित अनुमति के बिना सम्पूर्ण या आंशिक पुर्न प्रकाशन प्रतिबंधित है. स्वतत्वाधिकारी स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक और संपादक गोकुलेश्वर कुमार द्विवेदी के द्वारा भार्गव प्रेस बाई का बाग, इलाहाबाद से प्रकाशित किया.

नोटःपत्रिका में प्रकाशित रचनाओं, समाचारों इत्यादि से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं हैं. इसके लिए लेखक, रचनाकार, सूचनाकार स्वयं ही उत्तरदायी हैं. जन–जन को सूचना मिलने के उद्देश्य से सभी के विचार, संदेश, आलोचना, शिकायत छापी जाती है. पत्रिका से सम्बन्धित किसी भी प्रकार के वाद–विवाद का निपटारा केवल इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश, की अदालतों में होगा.

हिम्मत से बढ़ाए हिम्मत

☞ डर जंगल में आग की तरह फैलता है. एक का डर दूसरे को अपनी गिरफ्त में लेता चला जाता है. निराशा बढ़ने लगती है और समझ ही नहीं आता कि आगे क्या. पर, डर ही सब कुछ नहीं है. साहस भी, डर जितना ही संक्रामक है. किसी एक की हिम्मत चुटकियों में पूरे माहौल को बदल देती है. और फिर, अपनी शक्ति के बूते हम वो सब कर पाते हैं, जो कठिन समय में करना जरूरी होता है.

आजमाएंः

☞ डरने की बजाय, विषय के बारे में जानकारी बढ़ाए. दूसरों को सही सलाह दें और सही सूचना तक पहुंचने में मदद करें.

☞ पूरा दिन एक सी खबरों पर न बिताए. सोशल मीडिया के लिए अपना समय तय कर लें.

☞ अपने से बेहतर जानकारी और सूचना रखने वालों से जूड़े.

☞ हर समय उदास रहने वाली बातें न करें. ना दूसरों के डर को खुद पर हावी करें, ना ही दूसरों में अपने मन का डर फैलाएं.

☞ दूसरों की सुने और समझे.

☞ सावधानी बरतते हुए परिवार और पड़ोसियों से जुड़े रहे. मदद लेने और देने में संकोच न करें. मजबूत नेटवर्क बनाएं.

☞ अपने रोज के कामों को नए तरीकों से करें. रचनात्मक कामों में समय लगाएं.

☞ कोई बार-बार उदासी भरी बातें कर रहा है तो कुछ समय के लिए उनसे दूरी बना लें. ऐसा संभव नहीं है तो चुप हो जाए. बहस करने की बजाय टॉपिक बदल दें.

संपादकीय नहीं वर्तमान के लिए विचार आपके लिए

न्यायपालिका और हिन्दी : अवरोध और चुनौतियाँ

न्यायपालिका की सहायता के लिए जागरूक विधायिका की जरूरत होती है जो समाज के सर्वांगीण विकास और कल्याण के लिए विधि-निर्माण करती है ताकि कार्यपालिका उन कानूनों का पालन करते हुए देश में सुशासन और प्रबंधन ईमानदारी से कर सके. देश और समाज में कानून और व्यवस्था के पालन के लिए न्याय व्यवस्था एक कारगर साधन के रूप में काम करती है.

प्रो. कृष्ण कुमार गोस्वामी,
दिल्ली

लोकतांत्रिक सरकार के तीन अंग हैं-विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका. इनमें न्यायपालिका की अहम एवं सशक्त भूमिका रहती है. लोकतंत्र की सफलता मजबूत और स्वतंत्र न्यायपालिका पर आधारित होती है. इसके लिए सजग और सतर्क रूप से न्याय व्यवस्था का विकास करने की आवश्यकता होती है. न्यायपालिका की सहायता के लिए जागरूक विधायिका की जरूरत होती है जो समाज के सर्वांगीण विकास और कल्याण के लिए विधि-निर्माण करती है ताकि कार्यपालिका उन कानूनों का पालन करते हुए देश में सुशासन और प्रबंधन ईमानदारी से कर सके. देश और समाज में कानून और व्यवस्था के पालन के लिए न्याय व्यवस्था एक कारगर साधन के रूप में काम करती है. इस न्याय वावस्था के प्रति सामाजिक जागरूकता होना जरूरी है, जिससे समाज उसे ठीक तरह से समझ सके और उसकी सही रूप से पालन कर सके. इसलिए जनता को न्याय दिलाने के लिए जनता की अपनी भाषा की विशेष भूमिका रहती है. भाषिक दूरी से कानून को समझने के रास्ते में कई प्रकार की कठिनाइयाँ और अड़चनें आती हैं. अतः न्याय व्यवस्था का अनुपालन और कानून का सार्थक कार्यान्वयन तभी सही रूप से संभव हो पाएगा, यदि इनमें अपनी भाषा, राजभाषा अथवा राष्ट्रभाषा का प्रयोग किया जाए. जन-सामान्य तक त्वरित और निष्पक्ष न्याय सुलभ कराने के लिए अपनी भाषा का होना अनिवार्य है. कानून से ही देश की न्याय-व्यवस्था मजबूत होती है, सुशासन सशक्त बना रहता है जिससे राष्ट्र का विकास संभव हो पाता है.

प्रायः यह कहा जाता है कि कानून अंधा है अर्थात न्याय की देवी ने आँखों पर पट्टी बांध रखी है. आजादी से पहले भारत माता जंजीरों से जकड़ी हुई थी. किंतु स्वतंत्रता के बाद भारत माता परतंत्रता की जंजीरों से तो मुक्त हो गई लेकिन उसके मुँह पर अंग्रेजी की पट्टी बांध दी गई है ताकि वह गूंगे, मूक और बेजुबान की भाँति चुपचाप सब कुछ देखती रहे और कुछ भी बोल न सके कि उसके सामने क्या हो रहा है. अब समय आ गया है कि भारत माता के मुँह को अंग्रेजी के पाश से छुड़ाया जाए, तभी न्याय की देवी की आँखों से पट्टी हट पाएगी और न ही बेजुबान तथा गूँगा होगा लोकतंत्र. अब भारत को उसकी अपनी जुबान चाहिए, अपनी भाषा चाहिए, न कि विदेशी भाषा चाहिए. यदि ऐसा नहीं होता तो न्यायतंत्र खुले नेत्रों से न तो न्याय दे पाएगा, न ही दूसरों की भाषा में कुछ समझा पाएगा और न ही लोकतंत्र को अपनी अभिव्यक्ति देने की स्वतंत्रता मिल पाएगी.

इसी स्थिति के कारण राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने एक बार अपना दर्द व्यक्त करते हुए कहा था, यह क्या कम जुल्म की बात है कि अपने देश में अगर मुझे इन्साफ पाना है तो मुझे अंग्रेजी भाषा का उपयोग करना पड़े. उन्हों ने दुःखी होकर आगे कहा कि बैरिस्टर होने पर भी मैं अपनी भाषा ही न बोल सकूँ. दूसरे आदमी को मेरे लिए तर्जुमा कर देना चाहिए. यह कुछ दंभ है? यह गुलामी की हद नहीं तो और क्या है? इसमें मैं अंग्रेजी का दोष निकालूँ या अपना? हिंदुस्तान को गुलाम बनाने वाले तो हम अंग्रेजी जानने वाले लोग हैं.

हमारे देश में संसद, राज्य विधान सभाएँ, विधि एवं न्याय मंत्रालय तथा पंचायत से ले कर उच्चतम न्यायालय तक न्याय-व्यवस्था के प्रमुख अंग हैं, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि इनमें देश की अपनी हिन्दी का प्रयोग नहीं होता. वास्तव में अखिल भारतीय न्याय व्यवस्था के लिए संविधान में जो संतुलित और सुव्यवस्थित भाषा नीति बनाई गई है, उन पर न तो गंभीरता से विचार किया गया और न ही परीक्षण करने

की आवश्यकता समझी गई. इसी कारण विधि कॉलेजों के भाषा-प्रश्न की ओर सोचा ही नहीं गया जो विधि व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं. संविधान का अनुच्छेद 120 लोकसभा में प्रयुक्त भाषा के संदर्भ में विशेष रूप से जुड़ा हुआ है. इसके अतिरिक्त संविधान के 17वें भाग के अनुच्छेद 348 में स्पष्ट रूप से यह व्यवस्था की गई है कि लोक सभा की कार्यवाही हिन्दी अथवा अंग्रेजी में होगी. इसका अभिप्राय यह हुआ कि अनुच्छेद 120 में दी गई व्यवस्था के होते हुए अनुच्छेद 348 के अधीन कार्य चलेगा अर्थात लोकसभा की कार्यवाही या तो हिन्दी में होगी या अंग्रेजी में. इसके साथ यह भी व्यवस्था है कि यदि कोई सांसद अपना वक्तव्य हिन्दी या अंग्रेजी में अच्छी तरह अभिव्यक्त नहीं कर सकता तो वह अपनी मातृभाषा में सदन को संबोधित कर सकता है, लेकिन उसे इसके लिए लोकसभा के अध्यक्ष या राज्य सभा के सभापति से या उस समय सदन के पीठासीन अधिकारी से, जैसी भी स्थिति हो, सहमति लेनी होगी. इससे स्पष्ट है कि मातृभाषा को महत्व दिया गया है, क्योंकि सदस्य अपनी मातृभाषा में सहजता से अच्छी अभिव्यक्ति कर सकता है. यहाँ यह उल्लेखनीय है कि अगर सांसद मातृभाषा की अपेक्षा अपनी प्रादेशिक अथवा क्षेत्रीय भाषा में अच्छी अभिव्यक्ति कर सकता है, तो फिर भी उसे अपनी मातृभाषा में अभिव्यक्त करने के लिए अध्यक्षता करने वाले अधिकारी की सहमति या अनुमति मिलेगी. इसका यह भी आशय हो सकता है कि संविधान-निर्माताओं ने प्रादेशिक भाषा और मातृभाषा में अंतर न कर उन्हें एक ही श्रेणी में रखा हो, जिसे सत्तारूढ़ दल ने या तो समझा नहीं है या समझने का प्रयास ही न किया हो अन्यथा संसद मातृभाषा के साथ-साथ प्रादेशिक अथवा क्षेत्रीय भाषा को जोड़ सकती थी. दूसरा, अनुच्छेद 120 के अनुसार यदि संसद से अंग्रेजी हटा दी जाती है तो इसका आशय होगा कि सांसद को अब हिन्दी में अच्छी अभिव्यक्ति न कर पाने के कारण अपनी मातृभाषा में बोलने की सहमति अध्यक्ष या अधिकारी से लेनी होगी. अनुच्छेद 120 की उपधारा में यह प्रावधान भी है कि संविधान के लागू होने के 15 वर्ष की समाप्ति पर अर्थात 26 जनवरी 1965 के बाद अगर कोई विधेयक पारित न हुआ तो अनुच्छेद 120 से अंग्रेजी शब्द अपने-आप निकला गया माना जाए गा। लेकिन दुर्भाग्य से संसद में राजभाषा अधिनियम 1963 में संशोधन किया गया जिसमें पहले की व्यवस्था ही रखी गई कि अंग्रेजी तदनुसार संसद के कामकाज में पहले की तरह बनी रहेगी. इस प्रकार अनिश्चित काल के लिए संसद में द्विभाषिक स्थिति बनी हुई है.

संविधान में ऐसा कोई विशेष अनुच्छेद नहीं है जिसमें उच्चतम न्यायालय की भाषा का निर्देश दिया गया है. इसके अलावा अनुच्छेद 343 में अंग्रेजी के बारे में 15 वर्ष की जो अवधि रखी गई थी वह उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय पर लागू नहीं होती, क्योंकि इन न्यायालयों के संबंध में कोई कालावधि नहीं रखी गई. इसका आशय यह भी हो सकता है कि विधि के अनुसार संसद की इच्छा पर, किंतु वास्तविकता के आधार पर संघ के मंत्रिपरिषद अर्थात प्रधान मंत्री की इच्छा पर यह बात छोड़ दी गई हो कि कब ऐसा कानून बनाया जाए जिससे उपर्युक्त मामलों में अंग्रेजी भाषा के स्थान पर हिन्दी भाषा को रखा जाए. अनुच्छेद 348 से यह झलकता है कि अंग्रेजी-समर्थकों की अंदरूनी इच्छा थी कि संघ के राजकाज के लिए अंग्रेजी भाषा को सदैव बनाए रखा जाए. इस प्रावधान के कारण जिन राज्यों में अंग्रेजी का प्रयोग नहीं भी होता था, उनमें भी वैधानिक रूप से अंग्रेजी को विधि और न्याय की भाषा के रूप में अनिवार्य कर दिया गया। इसी अनुच्छेद के खंड (3) में यह व्यवस्था की गई कि यदि किसी राज्य का विधान मंडल अंग्रेजी से भिन्न भाषा में कानून बनाता है अथवा उस राज्य का राज्यपाल अंग्रेजी से भिन्न भाषा में अध्यादेश जारी करता है तो उस अध्यादेश या कानून का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से उस राज्य के राजपत्र में प्रकाशित किया जाएगा. इसका अभिप्राय यह हुआ कि हिन्दी के संघ की राजभाषा घोषित होने के बावजूद नियमों-विनियमों, कानूनों, अध्यादेशों के प्राधिकृत पाठ अंग्रेजी में ही माने जाएँगे, जब तक संसद इस बारे में कोई अन्य प्रावधान पारित नहीं करता। यही कारण है कि अंग्रेजीदाँ लोग इस बात पर तुले हुए थे और आज भी हैं कि जहाँ तक संभव हो स्वतंत्र भारत में कानून और न्याय की भाषा अंग्रेजी को ही बनाए रखा जाए. यह भी उल्लेखनीय है कि अनुच्छेद 345 में राज्यों को यह प्राधिकार दिया गया है कि वह जनता द्वारा बोले जाने वाली भाषा या हिन्दी को राजभाषा के रूप में अपना सकती है. यह सही है कि कोई भी राज्य अपनी भाषा की उपेक्षा नहीं कर सकता. इसलिए वह अपनी भाषा के साथ हिन्दी को भी दूसरी भाषा के रूप

में अपना सकता है वस्तुतः गुजरात राज्य के अलावा अन्य किसी राज्य ने हिन्दी को अपनी दूसरी भाषा के रूप में नहीं अपनाया. यह भी दुर्भाग्य है कि किसी भी राजनैतिक दल या राजनेता ने इस बारे में विचार ही नहीं किया. विधि मंत्रालय ने भी यही सोचा कि इस बारे में कौन मुसीबत ले.

उच्चतम न्यायालय को समूचे देश के लिए एक इकाई के भाँति काम करना होता है। इस लिए उसे अपनी कार्यवाही एवं विवेचना करने के साथ-साथ न्याय-निर्णय, डिक्री, आदेश आदि देने के एक ही भाषा का प्रयोग करना पड़ता है और वह है अंग्रेजी. इस संबंध में अगर संसद कानून बनाती है तभी उच्चतम न्यायालय में हिन्दी अंग्रेजी का स्थान ले पाएगी. इस संबंध में कुछ विधि-विशेषज्ञों में मतभेद है। उनका कथन है कि उच्चतम न्यायालय में हिन्दी का प्रयोग तभी संभव है, अगर देश के सभी उच्च न्यायालयों में हिन्दी के प्रयोग का प्रावधान हो. अगर उच्च न्यायालयों या निचली अदालतों में अपनी भाषा में निर्णय, डिक्री, न्याय आदि देने का प्रावधान किया जाता है तो उनके द्वारा हिन्दी अनुवाद प्रस्तुत करने पर उन अनूदित पाठों के आधार पर कानून का और कार्यवाहियों का स्पष्टीकरण करने या उनकी व्याख्या करने में ही उच्चतम न्यायालय का बहुत समय लग जाएगा. उच्चतम न्यायालय में एक भाषा हिन्दी के प्रयोग के संबंध में आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्य न्यायाधीश और हिंदीतर भाषी स्वर्गीय गोपाल राव एकबोटे ने अपना मत (राष्ट्रभाषा विहीन राष्ट्र, 1987) देते हुए यह कहा है कि अगर देश की समूची न्याय प्रणाली में एकत्व स्थापित किया जाता है और समूचे देश में कानून के निर्माण में और उच्च न्यायालयों तथा निचली अदालतों के न्याय, निर्णय, डिक्रियों, आदेशों आदि के लिए एक ही माध्यम या भाषा होती है तभी देश की न्याय-व्यवस्था को एकसंघीय ढांचे में लाया जा सकता है. न्यायाधीश एकबोटे के इस मत के अनुसार उच्चतम न्यायालय में हिन्दी का प्रयोग संभव तो है, लेकिन इसमें बहुत-सी कानूनी पेचीदगियाँ उठ खड़ी होंगी या खड़ी की जाएँगी. इस लोकतांत्रिक और बहुभाषी भारत में हिंदीतर भाषी राज्य अड़चनें पैदा कर सकते हैं और इसी कारण सत्तारूढ़ दल इस मामले में हाथ डालने से कतराते है. हालांकि संसदीय राजभाषा समिति ने भी अपनी रिपोर्ट में सिफारिश की है कि अब उच्चतम न्यायालय में अंग्रेजी के साथ-साथ हिन्दी का प्रयोग प्राधिकृत होना चाहिए. प्रत्येक निर्णय दोनों भाषाओं में उपलब्ध हो. साथ ही समिति ने मद संख्या 5(14) में भी कहा है कि उच्चतम न्यायालय और विभिन्न उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों और अन्य अधिकारियों को अपने प्रशासनिक और न्यायिक कार्यों में हिन्दी का प्रयोग करने के संबंध में प्रोत्साहित करने के लिए एक योजना शुरू की जानी चाहिए. इस प्रयोजन के लिए संगोष्ठियों, कार्यशालाओं, पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों, प्रशिक्षण कार्यक्रमों आदि का आयोजन किया जाना चाहिए. राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित आदेश भी निकले हैं, किंतु विडंबना यह है कि इतने वर्ष बीत जाने के बाद भी इस पर अभी तक न तो कोई कार्रवाई की गई है और न ही विचार किया गया है.

अनुच्छेद 348 की उपधारा (2) के अधीन कुछ राज्यों के राज्यपालों के आदेश से उच्च न्यायालयों की कार्यवाहियों में हिन्दी का प्रयोग अधिकृत हो गया है. कुछ राज्यों के उच्च न्यायालयों में अंग्रेजी के साथ-साथ अपनी प्रादेशिक भाषा का प्रयोग भी अधिकृत है. सन् 1950 में राजस्थान, 1970 में उत्तर प्रदेश, 1971 में मध्य प्रदेश और 1972 में बिहार सरकार के अनुरोध पर भारत सरकार ने उनके उच्च न्यायालयों में हिन्दी प्रयोग को अधिकृत किया था. इन राज्यों में हिन्दी के अलावा अंग्रेजी के प्रयोग का भी प्रावधान है. इसके अतिरिक्त निम्न एवं माध्यमिक न्यायालयों में अंग्रेजी के स्थान पर प्रादेशिक भाषाओं के प्रयोग की प्रवृत्ति तो बढ़ रही है, लेकिन अंतिम निर्णय, न्याय, डिक्रियाँ आदि अंग्रेजी में जारी करने की प्रथा अभी भी प्रचलित है. इधर पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के फैसलों के हिन्दी अनुवाद की व्यवस्था करने के लिए हरियाणा सरकार और पंजाब सरकार भी विचार कर रही हैं. उच्चतम न्यायालय ने भी अपने निर्णय हिन्दी और कुछ अन्य भारतीय भाषाओं में अनुवाद करने की व्यवस्था की है. इसी संबंध में माननीय राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी केरल उच्च न्यायालय की हीरक जयंती के अवसर पर 28 अक्तूबर, 2017 को कहा था कि अदालत के फैसले अंग्रेजी में दिए जाते हैं जबकि हमारा देश अनेक भाषाओं का देश है. इसलिए एक ऐसी व्यवस्था की जाए जिसमें उच्च न्यायालयों के अपने न्याय-निर्णयों का प्रमाणित अनुवाद स्थानीय और क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध कराया जाए. जनता को न्याय देना महत्वपूर्ण है लेकिन वह वादी और प्रतिवादी की भाषाओं में दिया जाए ताकि जो न्याय दिया गया है

वह उनकी समझ मे आ जाए. वास्तव में न्यायालयों में अनिवार्य रूप से अंग्रेजी में निर्णय देने के कारण जन सामान्य को देरी से न्याय मिलता है, जो नितांत चिंता का विषय है. इसके अतिरिक्त जिन लोगों को न्याय मिलता भी है तो उसे यह पूरी तरह से मालूम नहीं होता कि उसने अपने मुकदमे में जो दस्तावेज अथवा कागज-पत्र दाखिल किए हैं, उनमें क्या लिखा है. उसके मुकदमे में वकीलों में जो बहस हुई थी, उसमें क्या-क्या तर्क दिए गए थे, क्या वे तर्क सही भी थे और अंत में जो फैसला हुआ, उसमें क्या-क्या कहा गया है? उसे वकील के भरोसे रहना पड़ता है और वकील अंग्रेजी के भरोसे रहता है. इसलिए जब तक न्यायपालिका में अंग्रेजी का वर्चस्व रहता है तब तक देश के गरीब, पिछड़े, दलित, वंचित, मजदूर और ग्रामीण किसान सबसे ज़्यादा हानि उठाते रहेगे. एक तो उन्हें फैसला देर से मिलता है, दूसरा उनका पैसा भी बहुत खर्च होता है और तीसरा मुकदमे के फैसले की पूरी जानकारी भी उन्हें नहीं मिल पाती. राष्ट्रपति जी की यह चिंता वाजिब है कि अंग्रेजी के वर्चस्व से गरीब जनता और भारतीय भाषाओं के साथ व्यवहार नहीं हो पा रहा, अतः न्यायालयों के निर्णय का अनुवाद उनकी भाषाओं में उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाए. लेकिन यहाँ यह स्पष्ट करना असमीचीन नहीं होगा कि विधि अर्थात कानूनी भाषा तकनीकी-प्रधान भाषा है और इसी कारण यह भाषा अन्य विषयों की भाषा की अपेक्षा अधिक एकार्थी, जटिल और विशिष्ट होती है. इसकी शब्दावली और व्याकरणिक संरचना अपनी अलग विशिष्टता रखती है, इस लिए दूसरी भाषा में अनुवाद करने से अशुद्धि और संदिग्धता की संभावना प्रायः बनी रहती है. यदि मातृभाषा अथवा प्रादेशिक भाषा में न्याय, निर्णय आदि दिया जाए तो वह शुद्ध और असंदिग्ध होगा. इसलिए अनुवाद की व्यवस्था कानूनी भाषा में पूरी तरह से कारगर भूमिका नहीं निभा पाएगी. केवल यही नहीं, न्यायालय के अंग्रेजी में दिए गए निर्णय की अपेक्षा उसके अनुवाद में और अधिक विलंब होने की पूरी-पूरी संभावना है, क्योंकि अंग्रेजी में दिए गए निर्णय के सटीक एवं सही अनुवाद में और समय लगेगा. साथ ही, अनुवाद के लिए अधिक धन खर्च करने की व्यवस्था भी करने होगी जो अंततः जनता पर ही पड़ेगा।

न्यायालयों में अनिवार्य रूप से अंग्रेजी में निर्णय देने के कारण जन सामान्य को देरी से न्याय मिलता है, जो नितांत चिंता का विषय है. इसके अतिरिक्त जिन लोगों को न्याय मिलता भी है तो उसे यह पूरी तरह से मालूम नहीं होता कि उसने अपने मुकदमे में जो दस्तावेज अथवा कागज-पत्र दाखिल किए हैं, उनमें क्या लिखा है.

सिविल कोर्ट, जिला कोर्ट, विशेष न्यायालय के अतिरिक्त संसद तथा राज्य विधान सभाओं के विधेयक द्वारा गठित राजस्व, आबकारी, बिक्रीकरण, सहकारी आदि अधिकरण एवं न्यायाधिकरण की कार्यवाहियों, न्याय-निर्णयों, आदेशों तथा डिक्रियों के भाषा-माध्यम का प्रश्न भी विचारणीय है. दंड प्रक्रिया संहिता में भी व्यवस्था की गई है. अनुच्छेद 345 के अंतर्गत राज्य विधान मंडलों को अनुमति दी गई है कि वे कानून बना कर एक से अधिक भाषाओं को अथवा हिन्दी को अपने सभी या किन्हीं सरकारी कामकाज में लागू कर सकते हैं. इसके साथ ही सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 137 के उस दफा पर विचार करना होगा जिसमें न्यायालयों की वह भाषा जारी रहेगी जो इस कोड के लागू होने के समय लागू हुई थी. इससे राज्य सरकार को किसी दूसरी भाषा का प्रयोग करने के बारे में निर्देश देने का अधिकार प्राप्त होता है. राज्य सरकार यह घोषणा कर सकती है कि इस प्रकार के न्यायालय की भाषा क्या हो, किस लिपि में आवेदन पत्र आदेश दिए जा सकते हैं और न्यायालय की कार्यवाही आदि के लिए किस भाषा का प्रयोग किया जाए.

न्यायपालिका के सबसे निचले सोपान अर्थात ग्राम पंचायत के लिए स्थानीय भाषा के प्रयोग का प्रावधान है. संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत कुछ ग्राम-पंचायतों को दीवानी तथा फौजदारी न्याय संबंधी सीमित अधिकार मिले हुए हैं. ऐसे न्यायालयों अर्थात ग्राम-पंचायतों को भी अपना निर्णय स्थानीय भाषा में देने का प्रावधान है.

संविधान-निर्माताओं ने न्यायपालिका की भाषिक आवश्यकताओं के निर्धारण के लिए संविधान में जो संकल्पना रखी थी, उससे स्पष्ट होता है है कि कुछ कालावधि तक अंग्रेजी में

और बाद में अंततः हिन्दी में ही काम करना होगा. यह व्यवस्था निचली अदालतों से ले कर उच्चतम न्यायालय की कार्यवाहियों में लागू हो सकती है. इससे केंद्र और राज्य दोनों की न्याय प्रणाली में ऐक्य लाने में सहायता मिलेगी. जब कभी भारतीय जिला न्यायधीशों के संवर्ग का गठन किया जाएगा अथवा वह अस्तित्व में आएगा तभी अखिल भारतीय न्याय सेवाओं में भाषिक एकात्मकता स्थापित होगी. इससे भारतीय भाषाओं अर्थात प्रादेशिक अथवा क्षेत्रीय भाषाओं में न्यायालयों की कार्यवाही हो पाएगी. संविधान सभा की तदर्थ समिति के सदस्य के रूप में कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी ने यह टिप्पणी दी थी कि उच्चतम न्यायालय के कानून विषयक एक ही व्याख्या करने और एक ही प्रभाव बनाए रखना आवश्यक है. न्यायालयी एकात्मकता और राष्ट्रीय एकता के लिए कानूनी एकात्मकता और एक-सी व्याख्या प्रभावी सिद्ध होगी और देश की संघीय पद्धति सहज तथा सरल होगी. संविधान सभा की प्रारूप समिति के संयोजक डा. भीम राव अंबेडकर ने इस बात पर बल देते हुए कहा था कि संविधान ने एकसंघीय न्याय-प्रणाली की व्यवस्था की है और दीवानी या फौजदारी मामलों में उठने वाली समस्याओं को अधिकार पद्धति मे रख कर तथा उसमें परिष्कार करने के लिए उसे प्राधिकृत भी किया है. मुंशी जी और डॉ. अंबेडकर की इन भावनाओं का आदर न करना और जानबूझ कर उनकी गलत व्यख्या करना वास्तव में देश का अहित करना है.

यह कल्पना करना पूर्णतया गलत है कि न्यायपालिका के सभी सोपानों में या स्तरों में अर्थात पंचायत से उच्चतम न्यायालय तक भविष्य में अंग्रेजी अनंत काल तक चलती रहेगी. लेकिन इस बात का ध्यान रखना आवश्यक है कि वर्तमान न्याय प्रणाली में जो भाषिक प्रक्रिया विद्यमान है उसमें पूर्ण रूप से परिवर्तन लाने की नितांत आवश्यकता है. इसके लिए सरकार में पहले दृढ़ संकल्प होना बहुत जरूरी है. इसके लिए उसे अत्यधिक प्रयास करने पड़ेंगे और सुविचारित योजना बनानी पड़ेगी. इस अभियान में राजनीतिक दलों को भी पूरा-पूरा सहयोग देना पड़ेगा. केंद्र और राज्य सरकारों में हिन्दी के प्रयोग के बारे में जो झिझक और हिचकिचाहट विद्यमान है, उसे दूर करना होगा, उसे समाप्त करना होगा. स्वतंत्रता-पूर्व देसी राज्यों के अनुभवों को देखते हुए यह निस्संकोच कहा जा सकता है कि न्यायपालिका में भाषिक परिवर्तन कोई कठिन कार्य नहीं है. हैदराबाद रियासत में उर्दू, राजस्थान, मध्य प्रदेश आदि हिन्दी राज्यों के अनेक उदाहरण हैं जहाँ अपनी-अपनी भाषा में न्याय-व्यवस्था थी.

मुगल शासन मे अरबी-प्रधान फारसी भाषा राजभाषा के रूप में थी, इस लिए उस काल की जनता को यह भाषा सीखनी पड़ी. बाद में इस भाषा के अपभ्रंश रूप का प्रयोग होने लगा. ब्रिटिश शासन में सन् 1882 में उत्तर और मध्य भारत में पेशावर से बिहार तक निचले न्यायालयों की कार्यालयी भाषा तो उर्दू को बना दिया गया और शेष समूचे न्यायतंत्र में पूर्णतया अंग्रेजी का प्रयोग प्रारंभ हो गया. दूसरा, तत्कालीन भारत में विधि, विज्ञान, चिकित्सा आदि ज्ञानानुशासनों का शिक्षा-माध्यम अंग्रेजी भाषा थी. इस लिए हमारे अंदर यह धारणा बैठ गई कि अंग्रेजी माध्यम से ही आधुनिक ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है. तीसरा, अनुवाद से अधिक समय और राशि खर्च होने की आशंका से अंग्रेजी को ही जारी रखने की व्यवस्था की गई. इस लिए अंग्रेजीवादी लोग यह तर्क देते हैं कि हिन्दी और अन्य भारतीय भाषाएँ इतनी विकसित नहीं हैं कि न्यायपालिका में वे सुचारु रूप से अपनी भूमिका निभा सकें. उनका यह तर्क नितांत निराधार है. वास्तव में अंग्रेजी मानसिकता वाले इन लोगों का या तो मात्र बहाना है या भारतीय भाषाओं के प्रयोग में बाधा पहुँचाना है. वास्तव में भाषा अविकसित नहीं होती है, अविकसित होता है स्वयं भाषा-प्रयोक्ता और इसीलिए वह अपना दोष मढ़ देता है भाषा पर. उनकी समझ में यह नहीं आ रहा कि देश के विकास और समृद्धि के लिए समूचे देश की न्याय-प्रणाली में एक ही भाषा का होना आवश्यक है और यह भूमिका कारगर ढंग से निभा सकती है हिन्दी ही. उन्हें यह मालूम होना चाहिए कि ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन, जर्मनी, इटली, चीन, जापान, इराक, ईरान, अमेरिका आदि विकसित, समृद्ध और शक्तिशाली राष्ट्रों की अदालतों में अपनी भाषा का प्रयोग होता है न कि विदेशी भाषा का. पाकिस्तान, बंगलादेश, श्रीलंका, मारिशस आदि कुछ ऐसे देश हैं, जो भारत की तरह ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहे हैं, उनमें अंग्रेजी अर्थात विदेशी भाषा में कानून बनाए जाते हैं, न्यायालयों में मुकदमे की बहसों और फैसलों में भी विदेशी भाषा का प्रयोग होता है. एक कारण यह भी है कि ये देश विकसित और समृद्ध नहीं बन पाए हैं.

देश में उच्च शिक्षा की जो भाषायी स्थिति है, वही स्थिति विधि शिक्षा की भी है. इस समय देश के लगभग सभी विश्वविद्यालयों और कालेजों में विधि शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी ही है.

संविधान में न्याय-प्रणाली को प्रभावकारी बनाने के लिए अंग्रेजी के स्थान पर हिन्दी को लागू करने की जो अवधारणा प्रस्तुत की गई है, उसके समाधान के लिए विधि शिक्षा का माध्यम हिन्दी होना आवश्यक है. राष्ट्र की विधि प्रणाली और एकसंघीय न्याय व्यवस्था की एकात्मकता को बनाए रखने के लिए विधि शिक्षा में अंग्रेजी या अनेक भाषाओं के शिक्षा-माध्यम की कल्पना नहीं की जा सकती. इसलिए हिन्दी को माध्यम के रूप में प्रयोग करने से उच्च श्रेणी के विधिज्ञ पैदा होंगे. हिन्दी के प्रयोग पर आपत्ति करते हुए कुछ अंग्रेजी-समर्थक विशेषज्ञों का कथन है कि हिन्दी के प्रयोग से विधिज्ञ और बेंच का स्तर गिर जाए गा जो बिलकुल निराधार और निरर्थक सिद्ध होता है, क्योंकि स्वतंत्रता-पूर्व हैदराबाद रियासत का उत्कृष्ट उदाहरण हमारे सामने है जहाँ न्याय-प्रणाली के साथ-साथ विधि कॉलेजों में एक ही शिक्षा-माध्यम उर्दू भाषा थी. उस समय विधि कॉलेजों में कानून की पढ़ाई के अतिरिक्त सभी न्यायालयों में, जिनमें उच्च न्यायालय और ज्युडिशियल कमेटी भी शामिल थी, उर्दू भाषा का प्रयोग सफल रहा. ज्युडिशियल कमेटी हैदराबाद रियासत में एक प्रकार का उच्चतम न्यायालय था. रियासत के सभी कानून भी उर्दू में थे. इसलिए अब समय आ गया है कि भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय, विधि और न्याय मंत्रालय, राज्य सरकारों तथा सभी विश्वविद्यालयों को इस विषय पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है. यह कितनी दु:खद स्थिति है कि भारतीय विधि मंडल ने इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर ध्यान ही नहीं दिया. यदि हिन्दी और भारतीय भाषाओं में कानून की शिक्षा दी जाती है तो विधि स्नातक न्यायालयों में, यहाँ तक कि उच्च न्यायालयों तथा उच्चतम न्यायालय में अपनी वकालत सुचारु रूप से कर सकेंगे जो वादी और प्रतिवादी के लिए सहज, सुगम तथा संप्रेषणीय भी होगा. अनेक समितियों और आयोगों ने दृढ़ता से इस बात पर बल दिया है कि शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी होने से छात्रों में रटंत की आदत पड़ जाएगी और

न्याय-प्रणाली को प्रभावकारी बनाने के लिए विधि शिक्षा का माध्यम हिन्दी होना आवश्यक है. हिन्दी को माध्यम के रूप में प्रयोग करने से उच्च श्रेणी के विधिज्ञ पैदा होंगे. वादी और प्रतिवादी के लिए सहज, सुगम तथा संप्रेषणीय भी होगा.

मौलिक शोध, अन्वेषण तथा स्वतंत्र चिंतन-मनन करने की शक्ति क्षीण हो जाएगी. विधि की शिक्षा के संदर्भ में संसदीय राजभाषा समिति के संकल्प की मद संख्या 19 और 24 नवंबर, 1998 के राष्ट्रपति के आदेश में भी हिन्दी माध्यम में विधि की शिक्षा के बारे में कहा गया है 'हिन्दी के माध्यम से भी स्नातक स्तर और स्नातकोत्तर स्तर पर विधि की शिक्षा व्यवस्था पूरे देश में तथा अन्य विधि के क्षेत्र में कार्यरत सभी विश्वविद्यालयों, अन्य संस्थाओं को करनी चाहिए.' लेकिन शिक्षा के कर्णधारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा. हिंदीतर भाषी न्यायाधीश गोपाल राव एकबोटे ने तो हिन्दी और भारतीय भाषाओं का समर्थन करते हुए कहा है कि आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए विधि कॉलेजों में हिन्दी और अपनी प्रादेशिक भाषा दोनों को शिक्षा माध्यम के रूप में व्यवस्था की जा सकती है. लेकिन इन दोनों शिक्षा-माध्यमों के लिए विश्वविद्यालयों को अनिवार्यतः एक-समान सुविधाएँ प्रदान करनी होंगी. साथ ही यह भी ध्यान में रखना आवश्यक है कि जिन कॉलेजों में प्रादेशिक भाषा शिक्षा-माध्यम के रूप में लागू किया जाता है उनमें छात्रों को हिन्दी का पर्याप्त ज्ञान देना भी जरूरी होगा। हिन्दी की पारिभाषिक शब्दावली का ज्ञान भी देना होगा ताकि ये छात्र विधि स्नातक होने के बाद उच्चतम न्यायालय में भी वकालत कर सकें, क्योंकि उच्चतम न्यायालय में सभी न्याय-निर्णय हिन्दी में ही देने होंगे. भारतीय भाषाओं में, विशेषकर हिन्दी में विधि की पुस्तकों और पत्र-पत्रिकाओं का प्रकाशन करना होगा.

भारत के न्यायालयों में जो करोड़ों मुकदमे अधर में लटके पड़े रहते हैं, उनके प्रमुख कारणों में एक कारण अपनी भाषा में मुकदमे की सुनवाई न होना है. एक ब्रिटिश विद्वान और चिंतक जॉन स्टुअर्ट ने सही कहा है कि विलंब से दिया गया निर्णय नहीं के बराबर होता है. प्रश्न उठता है कि वादी या प्रतिवादी को उसे अपनी भाषा या अपने देश की भाषा में न्याय क्यों नहीं मिलता? लोकतंत्र में उसके अधिकार को सीमाओं में बांध रखा है जो वास्तव में उसके मौलिक अधिकारों का हनन है. जनता को जनता की भाषा में न्याय मिलना चाहिए.

स्वतंत्र न्यायपालिका के लिए स्वभाषा,

क्षेत्रीय भाषा, देश की भाषा या राष्ट्र भाषा में निर्णय देने की व्यवस्था की जाए. वस्तुतः बहुभाषी राज्य में न्याय व्यवस्था के एकीकरण के लिए, विशेषकर उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के लिए विशेष दूरदर्शिता तथा सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है.

भारत की अधिकतर संख्या अपना भाषा-व्यवहार अपनी भाषा में करती है. फिर भी न्यायालयों की भाषा अंग्रेजी बनी हुई है. न्याय-व्यवस्था में पारदर्शिता की आवश्यकता रहती है. यदि अपनी भाषा में न्याय प्रक्रिया नहीं चलेगी तो पारदर्शिता की अपेक्षा करना व्यर्थ है. बड़ी दुःखद स्थिति है कि अपनी भाषा इस न्यायालयों के दरवाजे के बाहर यह आशा ले कर चुपचाप खड़ी रहती हैं, शायद उसे कभी न्यायालय के अंदर बुला लिया जाएगा. यह कैसी विडंबना है कि जनता ने जिस संसद को चुना, वह संसद जनता की भाषा में कानून न बना कर विदेशी भाषा अंग्रेजी में बनाती है. इससे हमारे जजों और वकीलों को मनमानी करने का मौका तो मिलेगा ही, साथ ही लोकतंत्र के साथ छल और धोखा भी होगा. अगर जन-सामान्य को अपनी भाषा में न्याय मिलता है तो न्यायालयों को वह बेहतर ढंग से समझ पाएगा और उसे आत्मसात कर पाएगा. अतः भाषा अभियान चलाने की आवश्यकता है, क्योंकि मातृभाषा अर्थात अपनी भाषा का कोई विकल्प नहीं हो सकता, यह वैज्ञानिक सत्य है. यूनाइटेड अरब एमीरात (यू.ए.ई) के आबूधाबी में अपने न्यायालयों के लिए अरबी, अंग्रेजी भाषाओं के साथ हिन्दी को तीसरी आधिकारिक भाषा के रूप में स्वीकार किया है, ताकि वहाँ बसे भारतीयों को सुविधा मिल सके. यह विडंबना ही है कि विदेश में प्रवासी भारतीयों को न्यायालयों में हिन्दी का प्रयोग करने की सुविधा मिल रही है जबकि भारत में अपने भारतीयों को ही न्यायालयों में अपनी भाषा का प्रयोग करने की सुविधा नहीं दी गई है.

अगर एक हारा हुआ इंसान हारने के बाद भी मुस्करा दे तो जीतने वाला भी जीत की खुशी खो देता है.

1996 से त्रैमासिक एवं 2001 से मासिक के रूप में निरन्तर प्रकाशित

कल, आज और कल भी बहुपयोगी

विश्व स्नेह समाज

हिन्दी मासिक

एक प्रति–15 / रुपये,
वार्षिक–150 / रुपये,
पंचवर्षीय–750 / रुपये,
आजीवन–1500 / रुपये, संरक्षक: 11000 / रुपये

खाता संख्या–66600200000154, आईएफएससी कोड–बीएआरबी0वीजेपीआरईई (BARB0VJPREE (0-ZERO) सीधे खाते में जमा, आरटीजीएस, नेफ्ट, ऑन लाइन स्थानान्तरण कर, जमा पर्ची की कापी व पत्र व्यवहार का पता ई–मेल या ह्वाट्सएप कर देवें।

पता: एल.आई.जी–93, नीम सराय कॉलोनी, मुण्डेरा, इलाहाबाद–211011, मो0: 9335155949, ई–मेल: vsnehsamaj@rediffmail.com

सोसल मीडिया से

हनुमान चालीसा में छिपे प्रबंधन के सूत्र

कई लोगों की दिनचर्या हनुमान चालीसा पढ़ने से शुरू होती है. पर क्या आप जानते हैं कि श्री हनुमान चालीसा में 40 चौपाइयाँ हैं, ये उस क्रम में लिखी गई हैं जो एक आम आदमी की जिंदगी का क्रम होता है.

माना जाता है तुलसीदासजी ने चालीसा की रचना मानस से पूर्व की था. हनुमान को गुरु बनाकर उन्होंने राम को पाने की शुरुआत की. अगर आप सिर्फ हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं तो यह आपको भीतरी शक्ति तो दे रही है लेकिन अगर आप इसके अर्थ में छिपे जिंदगी के सूत्र समझ लें तो आपको जीवन के हर क्षेत्र में सफलता दिला सकते हैं. हनुमान चालीसा सनातन परंपरा में लिखी गई पहली चालीसा है शेष सभी चालीसाएं इसके बाद ही लिखी गई.

हनुमान चालीसा के प्रारम्भ से अंत तक सफलता के कई सूत्र हैं. आइए जानते हैं हनुमान चालीसा से आप अपने जीवन में क्या-क्या बदलाव ला सकते हैं.

1. **शुरुआत गुरु से** : हनुमान चालीसा की शुरुआत गुरु से हुई है :

श्रीगुरु चरन सरोज रज,
निज मनु मुकुरु सुधारि।

अर्थ- अपने गुरु के चरणों की धूल से अपने मन के दर्पण को साफ करता हूं. गुरु का महत्व चालीसा की पहले दोहे की पहली लाइन में लिखा गया है. जीवन में गुरु नहीं है तो आपको कोई आगे नहीं बढ़ा सकता. गुरु ही आपको सही रास्ता दिखा सकते हैं. इसलिए तुलसीदास ने लिखा है कि गुरु के चरणों की धूल से मन के दर्पण को साफ करता हूँ. आज के दौर में गुरु हमारा मेंटोर भी हो सकता है, बॉस भी. माता-पिता को पहला गुरु ही कहा गया है. समझने वाली बात ये है कि गुरु यानी अपने से बड़ों का सम्मान करना जरूरी है. अगर तरक्की की राह पर आगे बढ़ना है तो विनम्रता के साथ बड़ों का सम्मान करें.

2. **ड्रेसअप का रखें ख्यालः** चालीसा की एक चौपाई है :

कंचन बरन बिराज सुबेसा,
कानन कुंडल कुंचित केसा।

अर्थ - आपके शरीर का रंग सोने की तरह चमकीला है, सुवेश यानी अच्छे वस्त्र पहने हैं, कानों में कुंडल हैं और बाल संवरे हुए हैं.

आज के दौर में आपकी तरक्की इस बात पर भी निर्भर करती है कि आप रहते और दिखते कैसे हैं. फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा होना चाहिए. अगर आप बहुत गुणवान भी हैं लेकिन अच्छे से नहीं रहते हैं तो ये बात आपके करियर को प्रभावित कर सकती है. इसलिए, रहन-सहन और ड्रेसअप हमेशा अच्छा रखें.

3. **सिर्फ डिग्री काम नहीं आती :**

विद्यावान गुनी अति चातुर।
राम काज करिबे को आतुर।।

अर्थ- आप विद्यावान हैं, गुणों की खान हैं, चतुर भी हैं. राम के काम करने के लिए सदैव आतुर रहते हैं.

आज के दौर में एक अच्छी डिग्री होना बहुत जरूरी है. लेकिन चालीसा कहती है सिर्फ डिग्री होने से आप सफल नहीं होंगे. विद्या हासिल करने के साथ आपको अपने गुणों को भी बढ़ाना पड़ेगा, बुद्धि में चतुराई भी लानी होगी. हनुमान में तीनों गुण हैं, वे सूर्य के शिष्य हैं, गुणी भी हैं और चतुर भी.

4. **अच्छा श्रोता बनें**

प्रभु चरित सुनिबे को रसिया।
राम लखन सीता मन बसिया।।

अर्थ -आप राम चरित यानी राम की कथा सुनने में रसिक है, राम, लक्ष्मण और सीता तीनों ही आपके मन में वास करते हैं. जो आपकी प्रायोरिटी है, जो आपका काम है, उसे लेकर सिर्फ बोलने में नहीं, सुनने में भी आपको रस आना चाहिए. अच्छा श्रोता होना बहुत जरूरी है. अगर आपके पास सुनने की कला नहीं है तो आप कभी अच्छे लीडर नहीं बन सकते.

5. **कहाँ, कैसे व्यवहार करना है ये ज्ञान जरूरी है :**

सूक्ष्म रुप धरि सियहिं दिखावा।
बिकट रुप धरि लंक जरावा।।

अर्थ- आपने अशोक वाटिका में सीता को अपने छोटे रुप में दर्शन दिए और लंका जलाते समय आपने बड़ा स्वरुप धारण किया. कब, कहाँ, किस परिस्थिति में खुद का व्यवहार कैसा रखना है, ये कला हनुमानजी से सीखी जा सकती

है. सीता से जब अशोक वाटिका में मिले तो उनके सामने छोटे वानर के आकार में मिले, वहीं जब लंका जलाई तो पर्वताकार रुप धर लिया. अक्सर लोग ये ही तय नहीं कर पाते हैं कि उन्हें कब किसके सामने कैसा दिखना है.

6. अच्छे सलाहकार बनें :

तुम्हरो मंत्र विभीषण माना।
लंकेश्वर भए सब जग जाना।।

अर्थ- विभीषण ने आपकी सलाह मानी, वे लंका के राजा बने ये सारी दुनिया जानती है. हनुमान सीता की खोज में लंका गए तो वहाँ विभीषण से मिले. विभीषण को राम भक्त के रुप में देख कर उन्हें राम से मिलने की सलाह दे दी. विभीषण ने भी उस सलाह को माना और रावण के मरने के बाद वे राम द्वारा लंका के राजा बनाए गए. किसको, कहाँ, क्या सलाह देनी चाहिए, इसकी समझ बहुत आवश्यक है. सही समय पर सही इंसान को दी गई सलाह सिर्फ उसका ही फायदा नहीं करती, आपको भी कहीं न कहीं फायदा पहुँचाती है.

7. आत्मविश्वास की कमी न हो

प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माही।
जलधि लांघि गए अचरज नाहीं।।

अर्थ- राम नाम की अँगूठी अपने मुख में रखकर आपने समुद्र को लांघ लिया, इसमें कोई अचरज नहीं है. अगर आप में खुद पर और अपने परमात्मा पर पूरा भरोसा है तो आप कोई भी मुश्किल से मुश्किल टॉस्क को आसानी से पूरा कर सकते हैं.

आज के युवाओं में एक कमी ये भी है कि उनका भरोसा बहुत टूट जाता है. आत्मविश्वास की कमी भी बहुत है. प्रतिस्पर्धा के दौर में आत्मविश्वास की कमी होना खतरनाक है. अपने आप पर पूरा भरोसा रखे.

अपना पुराना रिकार्ड तोड़ें, इससे आपकी उन्नति होगी

संसार में बहुत से लोग गुस्सा करते हैं. पहले बड़ी-बड़ी बातों पर गुस्सा, बाद में यह गुस्सा आदत बन जाती है. इस तरह से जब गुस्से पर नियंत्रण नहीं रहता, तो अपना गुस्सा दूर करने के लिए फिर वे सामान की तोड़फोड़ शुरू करते हैं.

अपुष्ट सूचनानुसार विदेशों में लोग अपना गुस्सा उतारने के लिए ऐसे स्थानों पर जाते हैं, जहां उनको फर्नीचर आदि वस्तुएं रखी हुई मिलती हैं. और वे पैसा देकर उस सामान को तोड़ते हैं. सामान तोड़ने से उनका गुस्सा बाहर निकल जाता है, मन थोड़ा शांत हो जाता है. सामान की तोड़फोड़ करना, यह तो अच्छी स्थिति नहीं है.

'आयुर्वेद में क्रोध को मानसिक रोग माना जाता है. इसका विधिवत् इलाज कराना चाहिए. क्रोध को दूर करने का यह तरीका नहीं है कि आप सामान तोड़ें. यह विनाश का कार्य है. अगर आप अपना गुस्सा दूर करना ही चाहते है, तो उसे निर्माण कार्य में लगा सकते है.'

उदाहरण के लिए, मान लीजिए, एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के साथ कुछ द्वेष हो गया. दोनों ही खिलाड़ी थे. एक खिलाड़ी को दूसरे खिलाड़ी पर गुस्सा आने लगा, क्योंकि वह उससे योग्यता में आगे जा रहा था. यदि वह अपने गुस्से को दूर करना चाहता है, तो वह दूसरे खिलाड़ी की टांग न खींचे. उसका कोई नुकसान न करे. बल्कि अपनी खेल की कलाकारी योग्यता को बढ़ाए. उस गुस्से को इस तरह मोड़ दे कि 'मैं खूब मेहनत करूंगा और आगे बढ़ूंगा. मैं भी ऊंची योग्यता बनाऊंगा.' यदि वह दूसरे खिलाड़ी से प्रतियोगिता करेगा और प्रतियोगिता में वह हार गया, तो उसे फिर गुस्सा आएगा. और उसके गुस्से का इलाज नहीं हो पाएगा.

इसलिए उसकी अपेक्षा उसे ऐसा सोचना चाहिए कि 'हर व्यक्ति अपना कर्म करने में स्वतंत्र है. वह खिलाड़ी भी स्वतंत्र है, मैं भी स्वतंत्र हूं. वह अपनी मेहनत करता है, मैं भी अपनी मेहनत करूंगा और आगे बढ़ूंगा. मैं उसके साथ द्वेष नहीं करूंगा. मैं अपनी उन्नति पर ध्यान दूंगा.'

तो सारी बात का सार यह हुआ कि, जो व्यक्ति क्रोध को दूर करना चाहता है, वह खूब मेहनत करे, और अपना पिछला रिकॉर्ड देखे कि 'मैंने पहले कहां तक प्रगति की थी. अब मैं और मेहनत करूंगा, और अपने ही रिकॉर्ड को तोड़कर उसके ऊपर निकलूंगा.' इस तरह के चिंतन और पुरुषार्थ से वह क्रोध वाला व्यक्ति अपने क्रोध को जीत लेगा. और अपना ही पिछला रिकॉर्ड तोड़ कर आगे बढ़ने से उसकी उन्नति होगी. ऐसा करने से उसका क्रोध विनाशक नहीं रहेगा, बल्कि निर्माण कार्य में परिवर्तित हो जाएगा.' इस प्रकार से अपना ही पिछला रिकॉर्ड तोड़कर, अपना गुस्सा उतारना चाहिए. न कि किसी दूसरे का सर फोड़ कर, उसका घर सामान तोड़कर, या और कोई हानि करके गुस्सा उतारना. दूसरे का नुकसान करके अपना गुस्सा दूर करना, यह कोई वीरता नहीं है, और न ही यह मनुष्यता है.'

-स्वामी विवेकानन्द परिव्राजक

देवरहा बाबा, एक ऐसे संत जिसके पैरो के नीचे अपना सिर रखने नेता व अंग्रेज तक आते थे!

देवरहा बाबा का जन्म अज्ञात है. यहाँ तक कि उनकी सही उम्र का आकलन भी नहीं है. वह यूपी के देवरिया जिले के रहने वाले थे. मंगलवार, 19 जून सन् 1990 को योगिनी एकादशी के दिन अपना प्राण त्यागने वाले इस बाबा के जन्म के बारे में संशय है. कहा जाता है कि वह करीब 900 साल तक जिन्दा थे. (बाबा के संपूर्ण जीवन के बारे में अलग-अलग मत है, कुछ लोग उनका जीवन 250 साल तो कुछ लोग 500 साल मानते हैं.)

भारत के उत्तर प्रदेश के देवरिया जनपद में एक योगी, सिद्ध महापुरुष एवं सन्तपुरुष थे देवरहा बाबा. डा. राजेन्द्र प्रसाद, महामना मदन मोहन मालवीय, पुरुषोत्तमदास टंडन, जैसी विभूतियों ने पूज्य देवरहा बाबा के समय-समय पर दर्शन कर अपने को कृतार्थ अनुभव किया था. पूज्य महर्षि पातंजलि द्वारा प्रतिपादित अष्टांग योग में पारंगत थे. श्रद्धालुओं के कथनानुसार बाबा अपने पास आने वाले प्रत्येक व्यक्ति से बड़े प्रेम से मिलते थे और सबको कुछ न कुछ प्रसाद अवश्य देते थे. प्रसाद देने के लिए बाबा अपना हाथ ऐसे ही मचान के खाली भाग में रखते थे और उनके हाथ में फल, मेवे या कुछ अन्य खाद्य पदार्थ आ जाते थे जबकि मचान पर ऐसी कोई भी वस्तु नहीं रहती थी. श्रद्धालुओं को कौतुहल होता था कि आखिर यह प्रसाद बाबा के हाथ में कहाँ से और कैसे आता है. जनश्रुति के मुताबिक, वह खेचरी मुद्रा की वजह से आवागमन से कहीं भी कभी भी चले जाते थे. उनके आस-पास उगने वाले बबूल के पेड़ों में कांटे नहीं होते थे. चारों तरफ सुंगध ही सुंगध होता था.

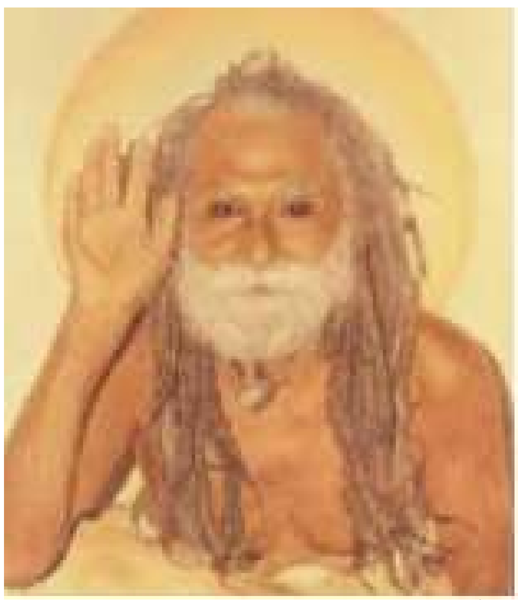

लोगों में विश्वास है कि बाबा जल पर चलते भी थे और अपने किसी भी गंतव्य स्थान पर जाने के लिए उन्होंने कभी भी सवारी नहीं की और ना ही उन्हें कभी किसी सवारी से कहीं जाते हुए देखा गया. बाबा हर साल कुंभ के समय प्रयाग आते थे.

मार्कण्डेय सिंह के मुताबिक, वह किसी महिला के गर्भ से नहीं बल्कि पानी से अवतरित हुए थे. यमुना के किनारे वृन्दावन में वह 30 मिनट तक पानी में बिना सांस लिए रह सकते थे. उनको जानवरों की भाषा समझ में आती थी. खतरनाक जंगली जानवारों को वह पल भर में काबू कर लेते थे.

लोगों का मानना है कि बाबा को सब पता रहता था कि कब, कौन, कहाँ उनके बारे में चर्चा हुई. वह अवतारी व्यक्ति थे. उनका जीवन बहुत सरल और सौम्य था. वह फोटो कैमरे और टीवी जैसी चीजों को देख अचंभित रह जाते थे. वह उनसे अपनी फोटो लेने के लिए कहते थे, लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि उनका फोटो नहीं बनता था. वह नहीं चाहते तो रिवाल्वर से गोली नहीं चलती थी. उनका निर्जीव वस्तुओं पर नियंत्रण था.

अपनी उम्र, कठिन तप और सिद्धियों के बारे में देवरहा बाबा ने कभी भी कोई चमत्कारिक दावा नहीं किया, लेकिन उनके इर्द-गिर्द हर तरह के लोगों की भीड़ ऐसी भी रही जो हमेशा उनमें चमत्कार खोजते देखी गई. अत्यंत सहज, सरल और सुलभ बाबा के सानिध्य में जैसे वृक्ष, वनस्पति भी अपने को आश्वस्त अनुभव करते रहे. भारत के पहले राष्ट्रपति डह राजेंद्र प्रसाद ने उन्हें अपने बचपन में देखा था.

देश-दुनिया के महान लोग उनसे मिलने आते थे और विख्यात साधू-संतों का भी उनके आश्रम में समागम होता रहता था. उनसे जुड़ीं कई घटनाएं इस सिद्ध संत को मानवता, ज्ञान, तप और योग के लिए विख्यात बनाती हैं.

कोई 1987 की बात होगी, जून का ही महीना था. वृंदावन में यमुना पार देवरहा बाबा का डेरा जमा हुआ था. अधिकारियों में अफरातफरी मची थी। प्रधानमंत्री राजीव गांधी को बाबा के दर्शन करने आना था।प्रधानमंत्री के आगमन और यात्रा के लिए इलाके की मार्किंग कर ली गई.

आला अफसरों ने हैलीपैड बनाने के लिए वहां लगे एक बबूल के पेड़ की डाल काटने के निर्देश दिए. भनक लगते ही बाबा ने एक बड़े पुलिस अफसर को बुलाया और पूछा कि पेड़ को क्यों काटना चाहते हो? अफसर ने कहा, प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए जरूरी है. बाबा बोले, तुम यहां अपने पीएम को लाओगे, उनकी प्रशंसा पाओगे, पीएम का नाम भी होगा कि वह साधु-संतों के पास जाता है, लेकिन इसका दंड तो बेचारे पेड़ को भुगतना पड़ेगा!

वह मुझसे इस बारे में पूछेगा तो मैं उसे क्या जवाब दूंगा? नही! यह पेड़ नहीं काटा जाएगा. अफसरों ने अपनी मजबूरी बताई कि यह दिल्ली से आए अफसरों का है, इसलिए इसे काटा ही जाएगा और फिर पूरा पेड़ तो नहीं कटना है, इसकी एक टहनी ही काटी जानी है, मगर बाबा जरा भी राजी नहीं हुए. उन्होंने कहा कि यह पेड़ होगा तुम्हारी निगाह में, मेरा तो यह सबसे पुराना साथी है, दिन रात मुझसे बतियाता है, यह पेड़ नहीं कट सकता. इस घटनाक्रम से बाकी अफसरों की दुविधा बढ़ती जा रही थी, आखिर बाबा ने ही उन्हें तसल्ली दी और कहा कि घबड़ा मत, अब पीएम का कार्यक्रम टल जाएगा, तुम्हारे पीएम का कार्यक्रम मैं कैंसिल करा देता हूं. आश्चर्य कि दो घंटे बाद ही पीएम आफिस से रेडियोग्राम आ गया कि प्रोग्राम स्थगित हो गया है, कुछ हफ्तों बाद राजीव गांधी वहां आए, लेकिन पेड़ नहीं कटा. इसे क्या कहेंगे चमत्कार या संयोग.

बाबा की शरण में आने वाले कई विशिष्ट लोग थे. उनके भक्तों में जवाहर लाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी जैसे चर्चित नेताओं के नाम हैं. उनके पास लोग हठयोग सीखने भी जाते थे. सुपात्र देखकर वह हठयोग की दसों मुद्राएं सिखाते थे. योग विद्या पर उनका गहन ज्ञान था. ध्यान, योग, प्राणायाम, त्राटक समाधि आदि पर वह गूढ़ विवेचन करते थे. कई बड़े सिद्ध सम्मेलनों में उन्हें बुलाया जाता, तो वह संबंधित विषयों पर अपनी प्रतिभा से सबको चकित कर देते.

लोग यही सोचते कि इस बाबा ने इतना सब कब और कैसे जान लिया. ध्यान, प्रणायाम, समाधि की पद्धतियों के वह सिद्ध थे ही. धर्माचार्य, पंडित, तत्वज्ञानी, वेदांती उनसे कई तरह के संवाद करते थे. उन्होंने जीवन में लंबी लंबी साधनाएं कीं. जन कल्याण के लिए वृक्षों-वनस्पतियों के संरक्षण, पर्यावरण एवं वन्य जीवन के प्रति उनका अनुराग जग जाहिर था.

देश में आपातकाल के बाद हुए चुनावों में जब इंदिरा गांधी हार गईं तो वह भी देवरहा बाबा से आशीर्वाद लेने गईं. उन्होंने अपने हाथ के पंजे से उन्हें आशीर्वाद दिया. वहां से वापस आने के बाद इंदिरा ने कांग्रेस का चुनाव चिह्न हाथ का पंजा निर्धारित कर दिया. इसके बाद 1980 में इंदिरा के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने प्रचंड बहुमत प्राप्त किया और वह देश की प्रधानमंत्री बनीं.

वहीं, यह भी मान्यता है कि इन्दिरा गांधी आपातकाल के समय कांची कामकोटि पीठ के शंकराचार्य स्वामी चन्द्रशेखरेन्द्र सरस्वती से आर्शीवाद लेने गयीं थी. वहां उन्होंने अपना दाहिना हाथ उठाकर आर्शीवाद दिया और हाथ का पंजा पार्टी का चुनाव निशान बनाने को कहा.

बाबा महान योगी और सिद्ध संत थे. उनके चमत्कार हजारों लोगों को झंकृत करते रहे. आशीर्वाद देने का उनका ढंग निराला था. मचान पर बैठे-बैठे ही अपना पैर जिसके सिर पर रख दिया, वो धन्य हो गया. पेड़-पौधे भी उनसे बात करते थे. उनके आश्रम में बबूल तो थे, मगर कांटेविहीन. यही नहीं यह खुशबू भी बिखेरते थे.

उनके दर्शनों को प्रतिदिन विशाल जनसमूह उमड़ता था. बाबा भक्तों के मन की बात भी बिना बताए जान लेते थे. उन्होंने पूरा जीवन अन्न नहीं खाया. दूध व शहद पीकर जीवन गुजार दिया. श्रीफल का रस उन्हें बहुत पसंद था.

देवरहा बाबा को खेचरी मुद्रा पर सिध्दि थी जिस कारण वे अपनी भूख और आयु पर नियंत्रण प्राप्त कर लेते थे.

ख्याति इतनी कि जार्ज पंचम जब भारत आया तो अपने पूरे लाव लश्कर के साथ उनके दर्शन करने देवरिया जिले के दियारा इलाके में मइल गांव तक उनके आश्रम तक पहुंच गया. दरअसल, इंग्लैंड से रवाना होते समय उसने अपने भाई से पूछा था कि क्या वास्तव में इंडिया के साधु संत महान होते हैं.

प्रिंस फिलिप ने जवाब दिया- हां, कम से कम देवरहा बाबा से जरूर मिलना. यह सन 1911 की बात है. जार्ज

पंचम की यह यात्रा तब विश्वयुद्ध के मंडरा रहे माहौल के चलते भारत के लोगों को बरतानिया हुकूमत के पक्ष में करने की थी. उससे हुई बातचीत बाबा ने अपने कुछ शिष्यों को बतायी भी थी, लेकिन कोई भी उस बारे में बातचीत करने को आज भी तैयार नहीं.

डाक्टर राजेंद्र प्रसाद तब रहे होंगे कोई दो-तीन साल के, जब अपने माता-पिता के साथ वे बाबा के यहां गये थे. बाबा देखते ही बोल पड़े-यह बच्चा तो राजा बनेगा. बाद में राष्ट्रपति बनने के बाद उन्होंने बाबा को एक पत्र लिखकर कृतज्ञता प्रकट की और सन 54 के प्रयाग कुंभ में बाकायदा बाबा का सार्वजनिक पूजन भी किया.

बाबा देवरहा 30 मिनट तक पानी में बिना सांस लिए रह सकते थे. उनको जानवरों की भाषा समझ में आती थी. खतरनाक जंगली जानवरों को वह पल भर में काबू कर लेते थे.

उनके भक्त उन्हें दया का महासमुंदर बताते हैं. और अपनी यह सम्पत्ति बाबा ने मुक्त हस्तज लुटाई. जो भी आया, बाबा की भरपूर दया लेकर गया. वितरण में कोई विभेद नहीं. वर्षाजल की भांति बाबा का आशीर्वाद सब पर बरसा और खूब बरसा. मान्यता थी कि बाबा का आशीर्वाद हर मर्ज की दवाई है.

कहा जाता है कि बाबा देखते ही समझ जाते थे कि सामने वाले का सवाल क्या है. दिव्यदृष्ठि के साथ तेज नजर, कड़क आवाज, दिल खोल कर हंसना, खूब बतियाना बाबा की आदत थी. याददाश्त इतनी कि दशकों बाद भी मिले व्यक्ति को पहचान लेते और उसके दादा-परदादा तक का नाम व इतिहास तक बता देते, किसी तेज कम्प्युटर की तरह.

हां, बलिष्ठ कदकाठी भी थी. लेकिन देह त्याहगने के समय तक वे कमर से आधा झुक कर चलने लगे थे. उनका पूरा जीवन मचान में ही बीता. लकडी के चार खंभों पर टिकी मचान ही उनका महल था, जहां नीचे से ही लोग उनके दर्शन करते थे. जल में वे साल में आठ महीना बिताते थे. कुछ दिन बनारस के रामनगर में गंगा के बीच, माघ में प्रयाग, फागुन में मथुरा के मठ के अलावा वे कुछ समय हिमालय में एकांतवास भी करते थे.

खुद कभी कुछ नहीं खाया, लेकिन भक्तनगण जो कुछ भी लेकर पहुंचे, उसे भक्तों पर ही बरसा दिया. उनका बताशा-मखाना हासिल करने के लिए सैकडों लोगों की भीड हर जगह जुटती थी. और फिर अचानक 11 जून 1990 को उन्होंने दर्शन देना बंद कर दिया.

लगा जैसे कुछ अनहोनी होने वाली है. मौसम तक का मिजाज बदल गया. यमुना की लहरें तक बेचौन होने लगीं. मचान पर बाबा त्रिबंध सिद्धासन पर बैठे ही रहे. डाक्टरों की टीम ने थर्मामीटर पर देखा कि पारा अंतिम सीमा को तोड़ निकलने पर आमादा है. 19 तारीख को मंगलवार के दिन योगिनी एकादशी थी.

आकाश में काले बादल छा गये, तेज आंधियां तूफान ले आयीं. यमुना जैसे समुंदर को मात करने पर उतावली थी. लहरों का उछाल बाबा की मचान तक पहुंचने लगा. और इन्हीं सबके बीच शाम चार बजे बाबा का शरीर स्पंदनरहित हो गया. भक्तों की अपार भीड भी प्रकृति के साथ हाहाकार करने लगी.

क्या आप लिखते हैं ?

अपने काव्य संग्रह, कहानी संग्रह, आलेख संग्रह इत्यादि के प्रकाशन हेतु संपर्क करें।

विशेष आकर्षण

1.प्रकाशन मात्र लागत मूल्य पर
2. बिक्री की व्यवस्था
3.प्रचार-प्रसार की व्यवस्था
4.विमोचन की व्यवस्था
5. ऑन लाईन/ऑफ लाइन संस्करण में पुस्तक का प्रकाशन

विस्तृत जानकारी के लिए सम्पर्क करें:
प्रसार सचिव, विश्व हिंदी साहित्य सेवा संस्थान, एल.आई.जी-93, नीम सरॉय कॉलोनी, मुण्डेरा, इलाहाबाद-211011
ई-मेल: sahityaseva@rediffmail.com

हमें अपनी सांस्कृतिक मूल्यों में सुधार की आवश्यकता है

-प्रो० सी०बी० श्रीवास्तव'विदग्ध'
जबलपुर, म.प्र.

जिस प्रकृति ने मनुष्य को शरीर दिया है. उसी ने उस शरीर की सुरक्षा और सुखद संचालन के लिये ज्ञानेन्द्रिया दी हैं और सोच समझकर निर्णय लेने को मन और बुद्धि भी दी है. ज्ञानेन्द्रियॉ जिनसे हमें ज्ञान होता है पांच है: ऑख, कान, नाक, रसना और त्वचा. इन पांचों के द्वारा हम देखने, सुनने सूंघने स्वाद लेने और स्पर्श का सुख लेते है. हमें जो ज्ञान होता है उसी के आधार पर मन सोच विचार करता है और उसी विचार के आधार पर कर्मेन्द्रियॉ काम करने को उत्सुक होती है. ज्ञानेन्द्रियों को बहुत कुछ ज्ञान परिवेश से ही होता है और परिवेश से ही प्रेरणा मिलती है जिसे शरीर कार्य रूप में परिवर्तन करता है. परिवेश का जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है इसीलिये कहा गया है कि -

संगति से गुन आत है
संगति से गुण जाय।
बॉस फॉस औ मीसरी
एक हि भाव बिकाय।

या सरल उदाहरण के रूप में देखते हैं कि दूध के साथ मिलाकर पानी भी दूध के भाव बिक जाता है. जब हमें देखनें, सुनने को अच्छा या शुभ व लाभकारी वातावरण मिलता है तो हमारे विचार भी का चलन रहा है कि बुराईयों का प्रभाव सरलता से होता है. अच्छाईयों का प्रभाव धीरे और कठिनाई से होता है. आज पाश्चात्य प्रभाव से समाज में भारी परिवर्तन देखा जा रहा हैं जो हमारे खान पान, बोलचाल, पहनावा उढ़ाव में स्पष्ट दिखता है. पिज्जा बर्गर सरीखे नये भोज्य पदार्थ चल पड़े है जो स्वास्थ्य के लिये अहितकर है. बोलचाल में हाय हैलो का प्रचलन है. अपनी बोलचाल की भाषा में अंग्रेजी के शब्दों की भरमार हो गई है. कई शब्द सही अर्थ में प्रयुक्त नहीं किये जाते. पहनाव उढ़ाव में प्रदर्शन अधिक हो रहा है. पर यह सब बिना सोचे समझे मन स्वीकार करता जा रहा है और विचारो में नया प्रदूषण आ गया है जो हमारी भारतीय सभ्यता को नष्ट कर रही है. नये सोच विचारो का ही प्रभाव है कि परिवार टूट रहे है. पति पत्नी के रिश्तों में भी दरार आ रही है. माता-पिता को घर में सही आदर नहीं मिल पाता उन्हे वृद्धाश्रमों में भेजा जा रहा है. परिवारिक व्यवस्था चौपट हो रही है. इस अव्यवस्था को बढ़ाने में सिनेमा का भी बड़ा हाथ है क्योंकि मौखिक उपदेश की अपेक्षा दृश्य श्रृव्य व्यवहारों का अधिक गहरा प्रभाव होता है और यह प्रभाव मनोभावों को बदल देता है. आज टीवी, सिनेमा संगीत के द्वारा जो देखा सुना और समझा जाता है वह बुराई की ओर धकेल रहा है. अच्छाई में अनुशासन की जरूरत होती है पर बुराई में इंद्रिय सुख की सहजता दिखती है इससे समाज उन्हीं अनुचित प्रसंगों को अपना कर सही पथ से हटकर पगडंडियों का पकड़ कर कम समय और कम व्यय में लाभ पाने आकर्षित हो रहा है. आज भारतीय संस्कृति के हॉस का प्रमुख कारण सही सुख पाने की नई अनुचित कल्पना है.

अपनी सांस्कृतिक गरिमा को बचाये रखने के लिये हमें ओछी नकल से बचना चाहिये. समाज को सही राह दिखाने के लिये सिनेमा, टीवी जैसे साधनों के द्वारा सुसंस्कार के दृश्य उपस्थित किये जाने चाहिये. अभद्रता और अश्लीलता को रोका जाना चाहिये. इसके लिये शासन को भी कड़े नियम बनाने चाहिये जिससे बढ़ती बुराई पर रोक लगे और नई बढ़ती बुराईयों से बचा सके.

भारतीय समाज की नैतिकता का वर्णन हमें इतिहास में पढ़ने को मिलता है जहॉ बाल वृद्ध महिलाओं की सुरक्षा और पूज्य, वृद्धों का सम्मान, प्रकृति की पूजा और प्राणिमात्र के प्रति संवेदना का हर व्यक्ति की दिनचर्या में सहज स्थान था किंतु आज क्या दुर्दशा है और कितनी गिरावट है. यह रोज के अखबारों में प्रकाशित समाचारों से स्पष्ट दिखाई देती है. सद्गुणों की जीवन में सबकी सुरक्षा की महती आवश्यकता है. सद्गुणों से ही समाज का आद व मान मिलता है. हमें इस ओर उचित और सजग रहकर व्यवहार में सुधार की आवश्यकता है.

जिस दिन आपके हस्ताक्षर, आटोग्रॉफ में बदल जाएंगे, उस दिन आप बड़े आदमी बन जाओगें.

कहानी

एक बीज आशा का

अलका प्रमोद
गोमती नगर, लखनऊ

वह बाजार जा रही थी. एक छोटी बच्ची सड़क पार कर रही थी, तभी एक तीव्र गति से आती गाड़ी ने उसे टक्कर मार दी. स्वस्ति के देखते देखते ही बच्ची गिर गयी और गाड़ी उसके पैरों को कुचलती हुयी तेजी से निकल गयी. लोगों की भीड़ जमा हो गयी पर तमाशबीनों की भीड़ में कोई भी बच्ची को उठा नही रहा था. तब स्वस्ति से न रहा गया उसने बच्ची को अपनी गाड़ी में डाला और अस्पताल ले गयी. डाक्टर ने तुरंत उसका प्राथमिक इलाज किया. स्वस्ति ने पूछा 'डाक्टर बच्ची बच जाएगी न?'

डाक्टर ने बताया 'बच्ची की जान तो बच जाएगी, पर उसका पैर बुरी तरह कुचल चुका है, उसे तो काटना ही पड़ेगा.'

स्वस्ति का मन उस मासूम के लिये कराह उठा. उसके स्कूल बैग में लिखे घर के फोन नम्बर पर उसने फोन किया. कुछ ही देर में बच्ची के माता-पिता बदहवास से आये. उन्हें देख कर स्वस्ति हतप्रभ हो गई, कुछ देर को वह संज्ञा शून्य सी हो गई. अचानक अतीत की खिड़की का दरवाजा जिसे उसने दृढ़ता से बन्द किया हुआ था सामने आई आंधी के थपेड़े से खुल गया. कितने स्वर्णिम दिन थे मन मानों हवा के पंखों पर सवार हो और तन कली सा कोमल चांदनी सा उज्जवल, स्फूर्ति से लबालब. पहला दिन था जब वह अपनी मित्र आरूणि के साथ कालेज गई. श्वेत सूट में उसका गुलाबी चेहरा और भी खिल रहा था. किसी ने पीछे से कहा ''चांदनी.''

स्वस्ति के चेहरे पर अनायास ही इस नये नामकरण से मुस्कराहट आ गई. उसने पलट कर कहने वाले के पास जा कर कहा 'मेरा नाम चांदनी नहीं स्वस्ति है.'

कहने वाला लड़का सकपका गया उसे ऐसी आशा नही थी उसने कहा ' सॉरी मेरा नाम सरल है.'

स्वस्ति और आरूणि दोनों हंसते हुए आगे बढ़ गई.

आरूणि ने कहा 'यार तुम्हारे साथ चलने में मेरा बहुत नुकसान है, मेरी तरफ तो कोई देखता ही नही.'

स्वस्ति ने कहा 'अगर तू कहे तो मैं कल से चेहरा ढक कर चलूं.'

'अरे मैं क्यों उन सबकी बद्दुआए लूं, जिनका सवेरा ही तुझे देख कर होता है' आरूणि के कथन में अतिशयोक्ति नही थी एक बार भी जिसकी दृष्टि स्वस्ति पर पड़ती वह उसके सौंदर्य से प्रभाव से मुक्त न हो पाता और पलट कर देखता अवश्य था. धीरे धीरे उन दोनो का कालेज के सभी छात्र छात्राओं से परिचय हो गया और सरल, चिन्मय, वन्दिका, शौर्य, अन्विता, के साथ उनकी एक अपनी टीम बन गई.

स्वस्ति की झोली मात्र रूप नही, गुणों से भी भरपूर थी. कालेज का कोई भी समारोह हो, स्वस्ति के बिना अधूरा था. चाहे वह संगीत हो, नाटक हो या वाद विवाद प्रतियोगिता. वार्षिक समारोह में ऐतिहासिक नाटक में वह रानी पद्मिनी बनी थी और शलभ अलाउद्द्दीन जो दर्पण में उसके सौंदर्य को देख कर अभिभूत हो जाता है. नाटक तो समाप्त हो गया पर शलभ के मन दर्पण में स्वस्ति का रानी वाला जो रूप बसा, तो उसके लाख चाहने पर भी नही मिटा.

उसने स्वस्ति की ओर मित्रता का हाथ बढ़ाया. धीरे-धीरे वह चाहे अनचाहे उससे सामीप्य बढ़ाने लगा. क्लास होती तो उसके बगल की सीट पर ही बैठता. यदि किसी दिन कोई दूसरा बैठ जाए तो वह उसे हटा कर ही मानता. प्रायः लड़के उसके दबंग व्यक्तित्व से किनारा करने में ही खैर समझते. फिर तो स्थिति यह हो गयी कि लोग उससे पंगा लेने से बचने के लिये स्वस्ति के बगल की सीट उसके लिये छोड़ ही देते. प्रारम्भ में तो स्वस्ति ने इसे अधिक महत्व न दिया. पर स्वस्ति के कान तब खड़े हुए जब एक दिन शलभ ने उससे कहा 'स्वस्ति मुझे बिल्कुल नही पसंद है कि तुम लड़कों से इतनी दोस्ती करो.'

स्वस्ति ने आश्चर्य से कहा 'तुम्हे पसंद नही मतलब, क्या मुझे तुम्हारी पसंद से चलना होगा?'

'बिल्कुल अगर तुम हमारी हो तो कोई और लड़का तुम्हारे आसपास भी नही फटकना चाहिये' शलभ ने स्पष्ट किया.

स्वस्ति ने कहा 'मिस्टर शलभ अपनी लिमिट में रहो मैं तुम्हारी प्रापर्टी नही हूं, तुम मेरे लिये क्लास के सभी दोस्तों में से एक हो बस.'

स्वस्ति का सबके सामने उसे नकारना शलभ को बर्दाश्त न हुआ उसने पहले बातों से फिर धमकी से स्वस्ति पर अपना अधिकार जमाने का प्रयास किया. पर प्रभाव विपरीत हुआ. जो स्वस्ति उससे सामान्य व्यवहार करती थी, अब उसकी ओर देखना भी पसंद नही करती.

जब शलभ की स्वस्ति को पाने की आशा क्षीण होने लगी तो कुंठित शलभ ने उसे मोबाइल पर व्हाट्स ऐप पर अश्लील संदेश व चित्र भेजने प्रारम्भ कर दिये. परिणाम जो अपेक्षित था वही हुआ, स्वस्ति ने एक दिन कालेज में उसे रोक कर कहा 'शलभ मैने कभी तुम्हे दोस्त बनाया था. फिर मैं तुम्हारे व्यवहार की वजह से नाराज थी, पर अब तुम जो हरकत कर रहे हो उसके बाद मैं तुमसे नफरत करती हूं.'

शलभ के लिये यह खुले आम अपमान उसकी हेठी थी. उसने कहा 'स्वस्ति तुम्हे मेरा यह अपमान बहुत मंहगा पड़ेगा.'

स्वस्ति ने बात को हवा में उड़ा दिया. शलभ का प्रकरण सब भूल गये. कालेज का सत्र समाप्त होते होते स्वस्ति का विवाह तय हो गया. नितिन अमेरिका में साफ्टवेअर इंजीनियर था. उसकी पूरी मित्र मंडली उसको बधाई दे रही थी. आरूणि ने कहा 'अरे मेरी ब्यूटी क्वीन को तो ऐसा राजकुमार मिलना ही था.' वन्दिका बोली 'मैं तो उस दिन के इंतजार में मरी जा रही हूं जब यह दुल्हन बनेगी, इतनी सुंदर दुल्हन देख कर कहीं हमारे भावी जीजा जी बेहोश न हो जाएं.'

'अरे ठीक है न मौके का फायदा उठा कर मैं इसे उड़ा ले जाऊंगा.' सरल ने कहा, सब हो हो कर हंसने लगे. स्वस्ति ने कहा 'अपना मुंह देखा है?'

सरल भी कहां पीछे था बोला 'तुम्हारे विदेशी दूल्हे से अच्छा हूं मेड इन इंडिया.'

उस दिन ऐसे ही हंसी मजाक चलता रहा. सबने स्वस्ति से ट्रीट लेने का वादा ले कर ही उसे जाने दिया.

घर पर भी सभी बहुत प्रसन्न थे. पापा मम्मी तो इतना अच्छा वर मिलने की सोच भी नही सकते थे. वह तो किसी पार्टी में नितिन ने स्वस्ति को देखा तो उसके रूप और व्यवहार पर ऐसा मोहित हुआ कि चट मंगनी चट ब्याह करके ही अमेरिका लौटने का निर्णय ले लिया.

घर का मंगलमय वातावरण और उत्साह छूत की बीमारी के समान स्वस्ति और उसके परिवार से उसके मित्रों और खास रिश्तेदारों में फैलता जा रहा था. सभी अपनी अपनी तैयारी में लगे थे. विवाह से दो दिनो पूर्व स्वस्ति फेशियल कराने यूनिवर्सल पार्लर गयी. प्रसन्नता और फेशियल ने उसके रूप को द्विगुणि कर दिया था. स्वयं अपना चेहरा ही दर्पण में देख कर स्वस्ति निहाल हो गई. साथ में उसकी भाभी आयी थीं. पार्लर से बाहर निकल कर दोनो ने आटो ली. अभी कुछ दूर ही आगे गयी होगी कि अचानक मुंह पर कपड़ा लपेटे दो लड़कों ने कुछ द्रव स्वस्ति के चेहरे पर फेंका और बाइक से आगे बढ़ गये. स्वस्ति जलन से तड़पने लगी. भाभी भी घबड़ा गयीं उन्होने आटो रोकी और सहायता के लिये चिल्लाने लगीं. लोग जमा हो गये, कुछ ने सहायता की और अस्पताल ले गये. कुछ ही क्षणों में सब कुछ बदल गया था. स्वप्नों के आकाश में उड़ने वाली स्वस्ति कठोर निष्ठुर धरातल पर आ गिरी थी. उसके बाद जिस तेजी से उसके जीवन में एक के बाद एक काले साये छाते चले गये, उन्होने उसके जीवन में आशा की किरणों का मार्ग अवरुद्ध कर दिया. स्वस्ति का चेहरा झुलस चुका था साथ ही उसके प्रति नितिन का आकर्षण भी झुलस गया, वह स्वस्ति से मिले बिना ही अमेरिका वापस चला गया. आघात की श्रृंखला यहीं नही रुकी. स्वस्ति के विवाह ने पापा को जितना आह्लादित किया था, उसके टूटने ने उतना ही आघात दिया, जो उनके लिये काल बन गया. हृदय आघात ने उनसे उसकी सांसें छीन ली. मम्मी तो मानो जीवित हो कर भी विचित्र सी हो गयीं पता नही कहां खोयी बैठी रहती. उन्हे तो यह भी होश नही था कि स्वस्ति क्या क्या हाल है.

सब जानते थे कि यह करतूत शलभ की है. पर था ही कौन जो उसके विरुद्ध आवाज उठाता. मम्मी को होश ही नही था, स्वस्ति अस्पताल में पड़ी थी.

ऐसे में रिश्तेदारों द्वारा पुलिस में लिखाई रिपोर्ट भी शलभ के प्रभावशाली सम्बन्धों के दबाव में ठंडे बस्ते में चली गयी. किसी तरह अपने रूप के साथ अपने जले सपनों का बोझ ले कर जब स्वस्ति घर आयी तो निराशा की कालकोठरी में उसे घुटन होने लगी वह गुमसुम हो गई.

स्वस्ति की मीमांसा बुआ जो प्रोफेसर थीं किसी सेमिनार में विदेश गयी थी. अब लौट कर आयी तो मिलने दौड़ी आयी. उन्हें घर में निराशा का भयानक अंधेरा दिखा जो निश्चय ही निराशा के गर्त की ओर अग्रसर था. वह समझ गयीं कि इस समय स्वस्ति की जिजीविशा को जगाना जरूरी है. उन्होंने कुछ दिनों तक उसके साथ रुकने का निर्णय लिया. स्वस्ति न किसी से बोलती, न कुछ करती, बस अपने कमरे की लाइट बुझा कर पड़ी रहती. जबरदस्ती खाना खिला दो तो थोड़ा बहुत खा लेती. एक दिन उन्होंने उसके कमरे की खिड़की के पर्दे हटा दिये तो स्वस्ति ने तुरंत उन्हे फिर से फैला दिया. तब बुआ ने कहा 'ये क्या बात है, कब तक अंधेरे में बैठी रहोगी?'

'बुआ अब तो मेरे जीवन में ही अंधेरा हो गया, यह रोशनी मुझे चुभती है.' स्वस्ति ने कहा.

अपनी लाडली भतीजी का कथन उन्हें

अन्दर तक द्रवित कर गया नेत्र भर आये. पर यह समय भावुकता का नही था उन्होने अपने मनोभावों को छिपाते हुए कहा 'यानि कि तू भी उस पापी शलभ का साथ दे रही है.'

'मैं उस दुष्ट का नाम भी नही सुनना चाहती, आप साथ की बात कर रही हैं बुआ, आपने ऐसा सोचा भी कैसे?' स्वस्ति ने चौंक कर कहा.

'और क्या सोचूं, वह तुझे बरबाद करना चाहता था और तू स्वयं भी वही कर रही है.' 'मैं कर भी क्या सकती हूं' स्वस्ति ने निराशा से कहा. 'उसने तो तेरा बाहरी रूप बिगाड़ा है पर अपने आन्तरिक सौंदर्य को तो तू स्वयं ही नष्ट करने पर तुली है न.'' बुआ ने कहा. बुआ की इस बात ने स्वस्ति को सोच का नया दृष्टिकोण दिया. बुआ समझ गयीं कि उनकी बात यही निशाने पर लगी है. उन्होने कहा 'रूप तो वैसे ही कुछ दिनों में ढल जाता है पर तेरे गुण क्षमताएं योग्यताएं तो तभी नष्ट होगी जब तू चाहेगी.'

उस दिन बुआ ने स्वस्ति में जो आत्मविश्वास और आशा का बीज रोपा, उसने स्वस्ति के अंधेरे जीवन में प्रकाश की किरण को राह दी. उस अंधेरे में दीप जलाना सरल न था. पर स्वस्ति को बुआ ने जो आशा की डोर थमायी उसे उसने दृढ़ता से थाम लिया और कभी छूटने न दिया. पहले पहले वह बाहर निकली उसे लोगों की विचित्र दृष्टि का समाना करना पड़ा. लोग उसे ऐसे देखते मानो वह किसी और ग्रह से आयी हो. उसकी पुराने मित्र मंडली भी अब उससे किनारा करने लगी थी. एक दिन वह जा रही थी तो पड़ोस की गोमती आंटी उसे सुना कर कटाक्ष कर रही थीं 'मेरी बदसूरत बेटियां ही अच्छी, कम से कम यह दिन तो नही देखना पड़े.' यह वही आंटी थी जो उसके रूपवान और अपनी बेटियों के साधारण रूप रंग से दुखी रहती थी.

बात यहीं तक होती तो ठीक था. पर क्रूरता की हद तो उसने उस दिन देखी जब पता चला कि वही वंदना आंटी जो उसे बेटी बेटी कहते नही थकती थीं, कालोनी में कह रही थीं 'असल में लड़की को इतनी तो छूट दे दी. पहले तो उसने रूप के जाल में लड़के को फंसा लिया फिर जब विदेशी अमीर लड़का मिल गया तो उससे मुंह मोड़ लिया. अब लड़के भला यह धोखा कहां सह सकते हैं, ले लिया बदला.' यह घाव तेजाब के घावों से भी अधिक जलन दे रहे थे, पर स्वस्ति के मन में एक बार जो आत्मविश्वास और आशा का पौधा रोपित हुआ वह अपने स्थान से हिला तो अवश्य पर स्वस्ति ने उसे सूखने न देने का प्रण ले लिया था अतः वह धीरे धीरे ही सही पुष्पित पल्लवित होता रहा. राह कठिन थी, असंभव नही. उसके आत्मविश्वास ने मम्मी की छूट रही सांसों को भी आक्सीजन दी. स्वस्ति ने घर पर ही ऑनलाइन पढ़ाने का काम प्रारम्भ किया. ऑनलाइन ही उसके कई लड़के और लड़कियां मित्र बन गये. उन्ही में से एक दिन उसका रंजन से भी परिचय हुआ और फिर मित्रता हो गयी. दोनो आनलाइन ही लम्बी लम्बी चर्चाएं करते विचारों का आदान प्रदान करते, दोनो के विचार और मानसिक स्तर में अद्भुत साम्यता थी. जब मित्रता प्रगाढ़ हो गयी, तो रंजन मिलने का हठ करने लगा. पर स्वस्ति यह छोटा सा सुख अपना चेहरा दिखा कर खोना नही चाहती थी.

एक दिन द्वार की घंटी बजी, वह बाहर गयी तो आगंतुक ने कहा 'मैं रंजन वर्मा हूं, स्वस्ति कुमार से मिलने आया हूं.' स्वस्ति समझ गयी आज उसकी इस मित्रता से मिल रहे क्षणिक सुख का भी अंत होने वाला है. उसने मन ही मन निर्णय किया कि अब उसे वास्तविकता के ठोस धरातल पर जीना होगा और इस मृग मरीचिका को यहीं समाप्त करना होगा. उसने सपाट वाणी में कहा 'मुझे दुख है कि आपको बहुत निराशा होगी, मैं ही हूं स्वस्ति.'

रंजन ने कहा 'तो स्वस्ति क्या अपने मित्र को अन्दर आने को भी नही कहोगी?' स्वस्ति ने चौंक कर कहा 'क्या मेरा चेहरा देखने के बाद अब भी तुम मुझे दोस्त कहना पसंद करोगे?' रंजन ने कहा 'मैंने तुमसे दोस्ती तुम्हे बिना देखे तुम्हारे विचारों से प्रभावित हो कर की थी तो फिर आज ये चेहरा हमारी दोस्ती के बीच में कहां से आ गया?'

स्वस्ति को अपने कानों पर विश्वास नही हो रहा था क्या कोई ऐसा भी है जो चेहरे से परे उसके आन्तरिक सौन्दर्य से प्रभावित है....

वह चौंक कर वर्तमान में आ गई, जब बच्ची के पिता ने हाथ जोड़ कर स्वस्ति से कहा 'मैडम मेरी बेटी कभी चल नही पाएगी पर आपका बहुत बहुत आभार. आपकी वजह से कम से कम मेरी बच्ची की जान तो बच गयी.'

स्वस्ति समझ गई कि शलभ उसके झुलसे चेहरे को पहचान नही पाया है. जिस अपराधी को वह दंड नही दे पायी उसे अपने आप ही दंड मिल चुका था. पर जिसे वह दिन-रात कोसती थी आज उसे दंड मिलने पर, वह चाह कर भी खुश नही हो पाई क्योंकि शलभ के दंड में उसकी मासूम बच्ची भी भागीदार होगी, उसे बिना किसी दोष के ये दंड भुगतना पड़ेगा. स्वस्ति को तो बुआ मिल गई थीं, पता नही उस बच्ची में कोई आशा का एक बीज रोप पाएगा या नही?

नहीं...!साहब आज घर पर है!!

आजकल साहब सारा काम घर पर ही करते हैं. कम्प्यूटर और स्मार्ट फोन के जमाने में व्हाट्सएप या अणुडाक के जरिए साहब से आदेश आ जाते हैं. बाबूजी यह तय कर लेते है कि किसका काम करना है और किसका नहीं करना है? जब बाबूजी की जेब गर्म हो जाती है तो साहब के पास संदेश जाता है कि प्रार्थी भला आदमी है और चाय पानी का इंतजाम करने को तैयार है.

-डॉ० बालाराम परमार
देवास मध्य प्रदेश

कुछ समय पहले दूरदर्शन पर एक सीरियल आया था, 'ऑफिस ऑफिस'. उसके किरदारों ने सरकारी कार्यालयों में हो रहे भ्रष्टाचार की पोल खोल कर रख दी. लेकिन 'साहब' हैं कि कान पर जूं तक नहीं रेंगती! जूं क्यों रखेगी साहब? क्योंकि कोई आईएएस है तो कोई आईपीएस. कोई राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित है तो कोई नेताजी का भाई भतीजा है. ऐसे में साहब लोगों के कान पर जूं क्यों रेंगें? वह तो वही करेंगे जो उनकी मर्जी होगी? अब देखिए न, आज मैंने एक ऑफिस में किसी खास काम से फोन किया कि साहब ऑफिस में है? वहां से उत्तर मिला, नहीं..! आज साहब घर पर है! आजकल साहब सारा काम घर पर ही करते हैं. ओ क्या है न, कंप्यूटर और स्मार्ट फोन के जमाने में हर काम आसान हो गया है. व्हाट्सएप या अणुडाक के जरिए साहब से आदेश प्राप्त हो जाते हैं. किसका काम करना है और किसका नहीं करना है? यह तो बाबूजी ही तय कर लेते हैं! जब बाबूजी की जेब गर्म हो जाती है तो साहब के पास संदेश जाता है कि प्राथी प्रार्थनापूर्वक भला आदमी है और काम नियम धियम को तोड़ मरोड़ कर यथाशीघ्र हो जाने की गुहार लगा रहा है. इसके लिए चाय पानी का इंतजाम करने को तैयार है. इसके तुरंत बाद साहब का संदेश आता है कि ऐसे व्यक्ति के कार्य को यथाशीघ्र, यथायोग्य एवम् यथाशक्ति कर डिजिटल हस्ताक्षर के साथ कागजात को सुपुर्द कर दिया जाए.

यह सब उल्टा सीधा देख कर महापुरुषों पर तरस आता है कि किसलिए भूखे प्यासे रहकर देश को आजाद करवाया? उन्होने यातनाएं इसलिए सही ताकि हम अंग्रेजों की गुलामी से छुटकारा पा सके? पर हाय हाय रे दुर्भाग्य! अंग्रेज चले गए लेकिन अंग्रेजीयत ऐसी छोड़ गए कि आज तक आम आदमी को सता रही है. हमारे यहां अफसरों की भर्ती अंग्रेजी पद्धति पर ही होती है. अंग्रेजी बोलने वाला ही बड़े पद पर आसीन होता है. हिंदी माध्यम वाले बीच बीच में दो-चार टपक पड़ते हैं! और बेचारे उन्हें ही राष्ट्रीयता और मानवीयता का चोला पहनना पड़ता है. अंग्रेजी तो साहब अंग्रेजी है? अंग्रेजी मीडियम में पढ़े लिखे साहब का परिवार भ्रष्टाचार भक्त इसलिए है कि साहब की पढ़ाई में लाखों रुपए खर्च हुए हैं. मेरे जैसे बुद्धिजीवियों का भी ऐसा मानना है कि 'कार्यालयों' में रखा भी क्या है? वही बाबू, वही अलमीरा और फाइलें? इधर सरकार ने ससुरे कैमरे ओर लगवा दिए. अब ससुरा रिश्वत लेने का विचार भी अपराध की श्रेणी में आने लग जाता है? भला हो करोना काल का, जिसके चलते सरकार को मजबूरन घर पर काम करने की इजाजत देनी पड़ी. अब साहब लोग करोना के डर से ऑफिस में 'कम' और 'घर' पर ज्यादा अच्छा काम रहते हैं. शायद पहले से ज्यादा रिश्वत मार्ग सरल सुगम हो गया लगता है? सरकारी महकमे के आचरण से ऐसा लगता है 'जन सहयोग' की जगह 'रिश्वत' ने ले ली है! बिना रिश्वत के चपरासी आफिस के अंदर नहीं जाने देता. बाबू आपकी फाइल अधिकारी तक नहीं पहुंचाता. अधिकारी आपकी फाइल नहीं पढ़ता. जब फाइल पढ़ते ही नहीं जाती तो उस पर निर्णय लेने का काम तो कोंसों दूर की बात है? पता नहीं कब हमारे देश से भ्रष्टाचार और तलवे चाट संस्कृति का अंत होगा? नाशपीटा भ्रष्टचार जहां देखो वहां भिखारी की तरह दिखाई देता है! सुनने में तो यहां तक आया है कि शमशान घाट पर भी रिश्वत ली जाती है? इस रिश्वत ने तो अच्छे खासे समाज में दीमक लगा दी!!

जब जब कोई भूला भटका इंसान

मानवीय मूल्य की बात करता है, तब तब हमारे सामने बेचारा सतयुग का हरिश्चंद्र सामने आ जाता है. उसकी रोनी सूरत देखकर प्रश्न उठता है कहां गए वह लोग, कहां गई वह मर्यादा, कहां गई वह मानव सेवा? पहले हर कोई अपने को एक आदर्श नागरिक मानकर राष्ट्र की सेवा करता था. आज जिसको देखो वह केवल अपनी ही सेवा करना चाहता है. चाहे नेता हो या अभिनेता या फिर ढोंगी समाजसेवी एवं पत्रकार ही क्यों न हो, सब के सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे दिखाई देते हैं. ऊपर से नीचे तक सब के सब लिप्त हैं इसे मानवीय कार्य में? लगता है पूरे कुएं में भांग घुली हुई है. अधिकारी और नेता को काम करने के बदले कुछ न कुछ जरूर चाहिए. पिछले कुछ दशक से सरकारी महकमा अजीब सी हरकत करने लगा है. ऐसा लगता है जैसे कार्यालय उसके बाप की जागीर और फाइलें उसके दादा की बपौती हो? कथाकथित अंग्रेजी मानसिकता के नुमाइंदे कभी भी भविष्य की नहीं सोचते! भ्रष्टाचार के चलते बुद्धि भी भ्रष्ट हो गई है. जो सामने आता है, उसे ही जनकल्याण योजना मानकर करने लग जाते हैं. भविष्य में दस-बीस साल बाद आम आदमी को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, कोई नहीं सोचता जनाब? हां हमारे नेता भी नहीं सोचते? बस, ससुरे ये नेता- अफसर सोचते हैं तो अपना घर भरने की. घर पर ऐशो आराम की सारी सुविधाएं जुगाड़ने की बात! यही सुविधा भोगने के लिए साहब कार्यालय में नहीं..! घर पर ज्यादा रहते हैं!! कहने में थोड़ा संकोच हो रहा है लेकिन कहीं-कहीं तो साहब की श्रीमती जी कार्यालय चलाती देखी जा सकती है? खास तौर पर ऐसे साहब, जिनके सास- ससुर राजनीति का बे हिसाब किताब कारोबार करते हैं. इस प्रकार के साहबजादे मात्र हस्ताक्षर करते हैं! जो डिसीजन श्रीमती जी ने बाबू को दे दिया, हूबहू बाबू टाइप करके साहब के सामने रख देता है. मजाल है किसी की कि चूं भी निकाल जाए! पंच -सरपंच में भी इस भ्रष्ट कार्य पद्धति से अछूते नहीं हैं. पंचायत से याद आया यदि कोई ईमानदार व्यक्ति ऑफिस में जाकर नियमानुसार काम करवाने का आग्रह करता है तो अधिकारी गण कहते हैं, 'चल हट पंचायत करना बंद कर वरना सरकारी कार्य में बाधा डालने की जुर्म में अंदर करवा दूंगा.'

मुझे लगता है कि अब वक्त आ गया है कि शासन- प्रशासन में भ्रष्टाचार दूर करने और सुशासन लाने के लिए चाणक्य नीति : साम, दाम, दंड भेद को अपनाना होगा. वरना ऐसा लगेगा दिनभर चले और ढाई कोस.

खिदमत में अर्ज है :

बार बार अफसरों का करो तबादला।
अपने आप लग जाएगा भ्रष्टाचार पर ताला।।

पत्रिका महिला विशेषांक अत्यंत ही ज्ञानवर्धक है।

सर्वप्रथम संपादक डॉ. गोकुलेश्वरजी को नमन. अपनी बात में डा. सीमा वर्मा जी का यह कथन कि 'स्त्री को परिवार की धुरी माना गया है, परिवार को सम-विषम स्थिति में परिवार को संभाल लेने की जो क्षमता ईश्वर ने स्त्री में समाहित कर दी है, वह अन्य किसी प्राणी में नही.' अक्षरशः सत्य को प्रज्वलित करता है उनका यह लेख. डा. अनीता पंडाजी का 'पान क्वाई' दोस्ती के मिशाल कहानी के माध्यम से खासी समुदाय के स्वागत के सलीके की विशेषता पर प्रकाश डालना अत्यंत रोचक है. डॉ. पूनम श्रीवास्तव जी का 'भारतीय संगीत का सामान्य जीवन में महत्व' अत्यंत ज्ञान वर्धक, मन को आह्लादित करता है. विनीता मिश्रा जी द्वारा 'खजुराहो जीवन, हम और समय' लौकिक से अलौकिक यात्रा की ओर मन को ले जाना वाला अद्भुत विश्लेषण है. डा. रागिनी मिश्रा जी द्वारा 'प्रेम अनुराग, प्रीत सम कछु नाही' प्रेम की पराकाष्ठा की बात को बड़ी ही गंभीरता से प्रस्तुत किया है. प्रेम कठिन भी, सरल भी, सत्य भी, जीवन भी, जीवन का सार भी. पूर्णिमा उमेशजी का लेख 'परम्परा, आधुनिकता और साहित्य' सच है तीनों के बीच साम्य सुगम तो नहीं. परंतु सच्चे समाज दृष्टा एवं साहित्यकारों कि जिम्मेदारी ऐसे में और भी बढ़ जाती है. गंभीर चिंतन के साथ पूर्णिमा जी ने अपने उदगार व्यक्त किए.डॉ. शिखा गुप्ता जी ने प्राकृतिक चिकित्सा पर प्रकाश डालकर हम सबको प्रकृति की महत्ता को समझाया. प्रकृति से निकटता जीवन की संजीवनी है. संतोष शर्मा 'शान' जी ने धर्म पर बहुत ही सुंदर हृदय को छू जाने वाली बुजुर्गों दशा पर अभिव्यक्ति दी. अनुपमा प्रधान जी की लघुकथा 'सौतेली मां' दिल को छू गई। शबनम शर्माजी की कहानी 'समझदार बहू' अत्यंत संदेशप्रद. बबीता सक्सेना जी का संस्कृति पर लेख में उन्होंने धरोहर के रूप में संस्कृति को सहेजने की बात कही. जो अत्यंत आवश्यक है. कहीं न कहीं हमारी युवा पीढ़ी के सामने यह समस्या बढ़ती जा रही है.

लीनाजी का लेख हिंदी भाषा पर के अस्तित्व पर खड़ा होता सवाल सोचने पर मजबूत करता है. उनका कथन सत्य है कि हमें छोटी छोटी क्षेत्रिय भाषा एवं बोलियों को भी संरक्षित करना होगा, क्योंकि सभी भाषा मिलकर हांथ की अलग अलग उंगलियों जैसा कार्य करती हैं. जो समय आने पर मुट्ठी के रूप में एकत्र होकर हिंदी को समृद्ध और मजबूत बनाएंगी. ज्योति किरण सिन्हा जी ने भी हिंदी भाषा की सरलता और सुगम्यता पर विस्तृत प्रकाश डालते हुए दूसरे देशों में बोली जाने वाली हिंदी भाषा का आंकड़ा प्रस्तुत करते हुए हिंदी के विस्तार का सकारात्मक संकेत दिया. अभिनंदन! धूप किरण जी का लेख 'कोरोना मंथन' वाह आपने तो मेरा मन लिख दिया. कितना सुंदर सच महसूस होने लगा था. सभी सबका साथ महसूस के रहे थे. प्यार की आभा का एहसास होने लगा था. जरूरतें तो जैसे कम से कम हो गई थीं. साथ बैठना, साथ की चाय. मन चाहे पलों का आगाज हो उठा था. वाह, अद्भुत. अलका प्रमोद जी की कहानी 'जय हिन्द' देश प्रेम और कर्तव्य की बात करती हुई शिखर पर विराजती है.

आगे बढ़ते हुए कविताओं की पोटली खोलते ही मन गदगद हो जाता है. श्रीमती नीति शाह जी की कविता 'ब्लैक चेक' छूने लगी आकाश को आजकल बेटियां. अति सुंदर. डॉ. अर्चना वर्मा जी की कविता 'नारी सम्मान' समाज को सच्चाई से अवगत कराती भावपूर्ण रचना. डॉ. वंदना वान्याजी की कविता 'नारीत्व को नमन' खेत की पगडंडियों से हिमालय के शिखर तक पहुंचते कदम, ओज के साथ राष्ट्र को गति प्रदान करने की बात करती हुई रचना अत्यंत समृद्ध है. डॉ. कुमुद श्रीवास्तवजी की रचना 'बेटी सुरक्षा' समाज के बीच हुंकार भरती नजर आती है. मंजू शर्मा हलवारा जी की रचना 'होली खेलें' प्रकृति का अनुपम श्रृंगार करती हुई मनभावन है. गजल को आवाज देती हुई हमारी दीदी उमा त्रिगुणायतजी को प्रणाम. गंभीरता की बानगी के साथ 'वह रौनक न अब तुमको वापस मिलेगी झरे गुल की खुशबू सहन में मिलेगी' वाह दी जिंदगी लिख दी आपने. मीरा जैनजी की रचना 'होली का खाका' ठंडाई की बहार और एकता को दर्शाती है. अति सुंदर. कीर्ति श्रीवास्तवजी की रचना में एक ऐसी नारी का चित्र परिलक्षित होता है, जो स्वतंत्र तो है लेकिन बेड़ियों के साथ. अत्यंत सजीव मनोदशा को प्रस्तुत करती हुई रचना. कहानी 'एक कप कॉफी' रूबी मोहंती अत्यंत भावप्रबल कहानी की बनावट है. प्रवाहमयता है. जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, कहानी रोचक होती जाती है. कहानी का शिल्प अच्छा है. अंत में पूरी पत्रिका को बड़े ही मनोयोग से मैंने पढ़ा. ज्ञानवर्धक लेख, कविता एवं कहानी स्तरीय हैं. शुभकामनाओं के साथ सभी बहनों का अभिनंदन।

जय हिंदी

श्रीमती पुष्पा श्रीवास्तव शैली
रायबरेली, उत्तर प्रदेश।

संपादक के नाम पाती

आप सभी पाठकगण पत्रिका में प्रकाशित लेखो पर अपने विचार या कोई सुझाव नीचे दिये गये ई-मेल आईडी पर भेज सकते है। स्थान की उपलब्धता के हिसाब से हम आपके विचारों को शामिल करने का प्रयास करेंगे।

ईमेल : vsnehsamaj@rediffmail.com

-संपादक

जब गलती अपनी हो तो हमसे बड़ा कोई वकील नहीं जब गलती दूसरों की हो तो हमसे बड़ा कोई जज नहीं.

ग़ज़ल

लोग तो बिजलियाँ गिराते है
हम नये आषियाँ बनाते है।
गम नहीं आषियाना जलने का
रोषनी लोग पा ही जाते है।
ए गमे दिल तू भी हँस जैसे
फूल कॉटों में मुस्कुराते है।
हम कहेंगे नहीं तुम्हें अपना
रिष्ते अपनों से टूट जाते है।
हम समझते है आदमी उनको
काम जो आदमी के आते है।

-प्रा. पूर्णिमा उमेश झेंडे
नाशिक, महाराष्ट्र

होली के रंग

महुआ महका टेसू दहका
आम्र मंजरी आमा भृंगा,
रम्मत गाते लोग खुशी से
साथ निभाना उनका चंग।
पड़ी ढ़ोल पर थाप नहीं कि
घुलने लगी हवा में भंग,
कैसी मादक लहर उठी हैं
बहब रहे हैं जीवन ढंग।
मौसम में हैं छाई
भरे चौकड़ी मन सारंग,
फाग बसन्ती होली लाई
तन के भीतर नई तरंग।
वर्षा करता अमृत रस की
फागुन की पूनम का चांद,
हिल्लोरित हैं मानव मानस
भीगा-भीगा सा हर रंग।
लोग थिरकते और बजाते
डफ ढ़ोलक, मंजीर, मृदंगा,
चेहरे संग घर आंगन भी
प्रीत पुते होली के रंग।

-सुरेश चन्द्र सर्वहार
कोटा, राजस्थान

फिर भी आई, देखो, होली!

वासंती के बजे तराने।
बातें करते, सभी सुहाने।
प्रदूषण चहुँ ओर बढ़ रहा,
कैमीकल रंगते मनमाने।
हिंसा की चलती है गोली।
फिर भी आई, देखो, होली!

चहुँ ओर है, भागम-भाग।
गोली चलतीं, लगती आग।
ऐसिड फेंके, पत्थर मारे,
पुलिस के साथ भी ऐसा फाग।
सीएए पर इनकी, कड़वी होती बोली।
फिर भी आई, देखो, होली!

होली रख कर, आग लगाते।
मन का मैल मिटा ना पाते।
काम न कर, व्यर्थ आलोचन,
स्वार्थ की खातिर हैं भरमाते।
फैशन नाम, केवल है चोली।
फिर भी आई, देखो, होली!

प्रदूषण तुम नहीं बढ़ाओ।
मन का सारा मैल मिटाओ।
परंपराओं में सुधार करो अब,
जीवन पर्यावरण बचाओ।
आज की राधा, नहीं है भोली।
फिर भी आई, देखो, होली!

प्रेम के रंग में सबको रंग दें।
सद वषत्तियाँ, दिलों में भर दें।
लोक कल्याण का भाव जगाकर,
सबके दिल आनंदित कर दें।
सबके गालों पर हो, सच्चाई की रोली।
फिर भी आई, देखो, होली!

✍डॉ.संतोष गौड़ राष्ट्रप्रेमी
मेघालय

माँ

रख दो हाथ सिर पे माँ
नहीं तो हम टूट जायेंगे
हमारा कुछ भी न बिगडेगा,
जो तुझको शीश नवायेंगे
रख दो हाथ सिर पे माँ
नहीं तो हम टूट जायेंगे
तुम्ही से छांव मिलती हैं,
रौनक है घर में तुम्ही से
हमसे न रूठ जाना माँ,
वरना हम खुश न रह जायेंगे
रख दो हाथ सिर पे माँ,
नहीं तो हम टूट जायेंगे
तेरे आंचल में आकर हम,
भूल जाते हैं दुख सारे
हटा न लेना सिर से आंचल,
यह गम हम सह न पायेंगे
रख दो हाथ सिर पे माँ
नहीं तो हम टूट जायेंगे
इक माँ तेरा प्यार ही सच्चा,
झूठे बाकी सबके वादे हैं
कभी दिल माँ का न टूटे,
बस यही खुदा से कहना हैं१

-संगीता शर्मा
आगरा, उ०प्र०

आत्मनियंत्रण

मेरे मित्रों
शुभचिन्तकों
पुरजनों परिजनों
नादिरशाह की तरह
कोरोना का हमला जारी है।
जानलेवा महामारी है
मृतकों की संख्या बढ़ रही है
कब्रिस्तान के लिए जगह कम पड़ रही है।
इस समय बुद्धिमत्ता वीरता दिखाने में नहीं है
तथा लापरवाही भी हानिकारक है

बस केवल आत्मनियंत्रण
शिवाजी की तरह भूमिगत हो जाओ
रोग प्रतिरोधात्मक तक शक्ति बढ़ाओं
गुरिल्ला युद्ध अपनाओं
प्रथम सुअवसर पर वैक्सीन लगवाओं
बिना मास्क पहने बाहर मत जाओ
आवश्यकतानुसार सैनेटाईज होते रहो
बार बार हाथ धोते रहो
प्रसन्न रहो
घर में सभी के साथ खुश रहो
कोरोना भी मरेगा
पहले भी कई महामारी आई है
लेकिन सभी काल के गाल में समाई हैं
धीरज रखो कोरोना हारेगा।
हम इसे मार देगे
यह हमे क्या मारेगा
बस कुछ समय सचेत रहो
लापरवाह नहीं

-हितेश कुमार शर्मा,
बिजनौर, उ.प्र.

जिन्दगी का सच

जिन्दगी बहुत छोटी है,
एक नई सुबह को खोज में
व्यर्थ करने के लिए,
उन से प्रेम करो, जो तुम्हें चाहते हैं,
और जो ना करे उनके बारे में क्यों सोचना?
जिन यादों ने घाव दिया है,
वह भी भर जायेंगे,
बस आँखें बाँध कर के कहो, अलविदा।
'हर होनी के पीछे कारण होता है' यकीन करो!
मौका मिले तो- लपक लोय
अगर वह तुम्हें बदले-तो बदल जाओ।
क्यों एक बेहतर जिंदगी के लिए
इस वक्त को गवाँओ ना?
किसने कहा था जिंदगी आसान होगी?
किसने कहा था जिंदगी उत्तम होगी?
फिर क्यों इसे 'पूर्णता' की तलाश में गवाँओ ना?
बस खुद से एक वादा करो,
कि मैं अपनी जिंदगी को बड़ी,
न लम्बी बनाने की प्रयास करूंगी,
मैं सहूँगी, अहंसू छिपाने के लिए नहीं,
मिटाने के लिए।
हँसना या रोना मेरी मर्जी होगी,
मजबूरी नहीं।
चलो जो है उसे सराहते है,
जो चला गया उसे क्या कोसना?
मैं बस खुद से यह वादा करती हूँ कि
मैं अपनी जिंदगी जीने योग्य बनाऊँगी।

-मेघा पी. यादव, शिलांग, मेघालय

गौरैया

घर-आंगन में जो फुदका करती थी,
दाना चुंगकर ठंडा पानी पीती थी।
कहाँ गई वो प्यारी नन्हीं सी गौरैया?

चीं-चीं, चूं-चूं हरदम करती थी,
बरसात में पंख फैलाकर नाचा करती थी।
कहाँ गई वो प्यारी नन्हीं सी गौरैया?

तिनका-तिनका इकट्ठा करती थी,
सुंदर सा नीड़ निर्माण करती थी।
कहाँ गई वो प्यारी नन्हीं सी गौरैया?

हरे-भरे पेड़ों पर आजाद फुदकती थी,
कितनी चंचल? पास आकर दूर चली जाती थी।
कहाँ गई वो प्यारी नन्हीं सी गौरैया?

- मुकेश कुमार ऋषि वर्मा
फतेहाबाद, आगरा

भक्ति कालीन संत काव्य की प्रासंगिकता

रीति काल में रचित काव्य यद्यपि पर्याप्त आलोचना का काल रहा परन्तु इस काल को उत्कृष्ट बताने वालों की भी कमी नहीं रही. इन आलोचकों में सर्वप्रथम मिश्र बंधुओं की बात की जाए तो हम पाते हैं कि मिश्र बंधुओं की आलोचना दृष्टि का आधार छंद, अलंकार, रस, नायक-नायिका भेद आदि था.

-डा. सीमा वर्मा,
लखनऊ, उ.प्र.

हिंदी साहित्य के पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल (स्वर्ण युग) के नाम से जाना जाता है. इस काल तक उत्तरी भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना हो चुकी थी और अफगानों से युद्ध हेतु मुस्लिम शासक हिन्दुओं के साथ सम्बन्ध स्थापित कर अपना साम्राज्य सुदृढ़ कर रहे थे. राजनैतिक परिस्थितियों में मुस्लिम शासकों एवं हिन्दू शासितों में भेद विद्यमान होने के कारण भक्ति भावना का ह्रास होता जा रहा था. भारत में पूर्व रूप में विद्यमान प्रगाढ़ भक्ति भावना लुप्त प्राय थी. उस समय प्रचलित बौद्ध धर्म की दोनों शाखाओं हीन यान और महायान समय के साथ अपने मूल रूप और सिद्धांतों से भटक चुके थे. हीनयान अधिक कट्टरता के कारण संकुचित होता जा रहा था और महायान अधिक उदारता के कारण विकृत होता जा रहा था. महायान सम्प्रदाय के कारण असंस्करित वर्ग में तंत्र मन्त्र और व्यभिचार का समावेश हो गया था और इसी कारण से इसे मन्त्र यान और इसी से व्युत्पत्तवज्रयान का प्रसार होने लगा. वज्रयान में चौरासी सिद्ध हुए, जिसमें गोरखनाथ प्रमुख हुए, जिन्होंने सिद्ध व नाथ सम्प्रदाय का विकास किया. नाथ सम्प्रदाय द्वारा प्रचारित धर्म का दूसरा ही रूप प्रचलित हो रहा था, जिसके द्वारा हठ, योग आदि का प्रसार किया जा रहा था. गोरखनाथ द्वारा प्रचारित नाथ सम्प्रदाय ने अशिक्षित जनता के हृदय से जिस भगवद् भक्ति के स्थान पर अनेक प्रकार के तंत्र मन्त्र उपचार तथा अलौकिक सिद्धियों पर विश्वास करा दिया गया था, उसी खोयी हुई भगवद् भक्ति को जागृत करने का कार्य रामानुजाचार्य द्वारा सगुन भक्ति के रूप में शास्त्रीय पद्धति से किया गया था.
बौद्ध धर्म के बदलते स्वरुप का लाभ शंकराचार्य एवं कुमारिल भट्ट ने लेते हुए हिन्दू वैदिक धर्म का पुनरुद्धार किया और सुसंस्कृत जनता शंकराचार्य की ओर आकृष्ट हुई. दक्षिण से आये अलवर संतों के द्वारा भक्ति का प्रचार प्रसार किया जाने लगा और अंतर्मन से मुरझाई जनता के मध्य भक्ति का प्रसार करने में संतों की महती भूमिका रही. वैष्णव सम्प्रदाय, सूफी धर्म, संत काव्य आदि से सम्बंधित अनेकों कवियों ने तत्कालीन सामाजिक परिस्थितियों को धर्म से जोड़ते हुए उत्कृष्ट प्रेरणा दायक रचनाएं की. इस काल में भारतीय संस्कृति की मूल भूत विशेषता 'समन्वयात्मकता' को विशेष महत्त्व दिया गया, जो तत्कालीन साहित्य, कला, शिल्प व संगीत में भी देखा जा सकता है.
तत्कालीन परिस्थितियों को परिप्रेक्ष्य में रखते हुए आचार्य रामचन्द्र शुक्ल लिखते है, 'एक ओर तो प्राचीन सगुणोपासना का यह काव्यक्षेत्र तैयार हुआ, दूसरी ओर मुसलमानों के बस जाने से जो नयी परिस्थिति उत्पन्न हुई, उसकी दृष्टि से हिन्दू मुसलमान दोनों के लिए एक 'सामान्य भक्ति मार्ग' का विकास भी होने लगा.
भक्ति काव्य में संत काव्यधारा काल क्रम की दृष्टि से भक्ति की पहली धारा मानी जाती है. यद्यपि संत काव्य के कवि निम्न वर्ण और निम्न वर्ग के थे, पर इन कवियों सामाजिक समभाव हेतु भक्ति का जो आन्दोलन चलाया उसका प्रभाव समाज के हर वर्ग पर पड़ा.
हिंदी संत काव्य का प्रारम्भ निर्गुण काव्य धारा से होता है, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने नामदेव और कबीर द्वारा प्रवर्तित धारा को 'निर्गुण ज्ञानाश्रयी धारा' के नाम से, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 'निर्गुण भक्ति साहित्य' के नाम से और डा० राम कुमार वर्मा ने 'संत काव्य परंपरा' का नाम दिया.

संत शब्द का सम्बन्ध 'शांत' से मानते हुए डा० पीताम्बर बड़थ्वाल इसका अर्थ निवृत्ति मार्गी या वैरागी बताते है. परशुराम चतुर्वेदी सत्य का पर्यायवाची बताते हुए संतों का प्रधान लक्षण सत्य के प्रति पूरी आस्था रखने वाले को बताते हैं और उसी के अनुसार जो अपना जीवन ढाल लें, वही संत हैं. डा० शिव कुमार शर्मा कहते हैं, 'संत शब्द सत् शब्द से बना है, जिसका अर्थ है : ईश्वर उन्मुखी कोई भी सजग पुरुष. यदि सम्पूर्ण रूप में देखा जाए तो संत शब्द उस व्यक्ति की ओर संकेत करता है, जिसने सत्रुपी परम तत्व का अनुभव कर लिया हो, जो अपने व्यक्तित्व से परे होकर उसी विद्यमान अदृश्य परम तत्व के साथ एकाकार हो गया हो और जिसने सत्य का साक्षात्कार कर लिया हो, जिसका आचरण और जीवन शैली भी सत्य से प्रेरित हो और जिसकी सत्य के प्रति पूर्ण आस्था हो, वही संत है. कबीर दास ने संत की व्याख्या में कहा है- संत वह है जिनकी भक्ति निष्काम रूप से परमात्मा के लिए है और वह सभी विषयों यानि इन्द्रियों के प्रति आसक्ति से विरक्त है और संत की कथनी और करनी में कोई भेद नहीं मिलता. 'संत काव्य धारा' में परशुराम चतुर्वेदी कहते हैं, 'संत शब्द सत् शब्द का अन्यतम रूप है, जिसका वास्तविक अर्थ अस्तित्व का बोधक है और जो एक प्रकार से सत्य का पर्यायवाची है. उनमें किसी प्रकार के संकुचित या संकीर्ण विचारों के लिए स्थान नहीं रह जाता. वे सभी धर्मों, सम्प्रदायों, जातियों या वर्गों को समान दृष्टि से देखने लग जाते हैं.' संत काव्य की प्रमुख विशेषताओं के आधार पर आकलन किया जा सकता है कि तत्कालीन परिस्थितियों में रचा गया साहित्य/काव्य आज के सन्दर्भ में भी उतना ही प्रासंगिक है, जितना उस समय प्रासंगिक था.

मुगल शासन काल में जनता के मध्य निराशा का अन्धकार छाया था, अराजकता, विलासिता अव्यवस्था का वातावरण था. इस समय एक ऐसा वातावरण निर्मित करने की आवश्यकता थी, जिससे जनता के हृदय में आशा का संचार हो. ऐसे में संत कवियों ने समन्वय की दृष्टि से मानव धर्म को स्थापित किया. यदि हम वर्तमान परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में संत काव्य में वर्णित मानव धर्म के मूल्यों का परिशीलन करें तो हम पायेंगे कि आज के समाज को भी इन्हीं मानव मूल्यों की आवश्यकता है. वर्तमान समाज की स्थिति भी उन्हीं भ्रम और संदेहों से पूर्ण है, जो पूर्व मध्यकाल में विद्यमान थे. विभिन्न धर्मों का मूल रूप कहीं तिरोहित हो गया है.

संत काव्य की प्रमुख विशेषता रही है कि संतों द्वारा सभी धर्मों की अच्छी बातों को लेकर उनका प्रचार किया गया. किसी एक धर्म को महत्त्व न देकर मानव धर्म को सर्वोपरि माना गया तथा विभिन्न धर्मों की बुरी बातों की निंदा की गयी और इसे सभी वर्ग के लोगों ने स्वीकार भी किया. डा० त्रिलोकी नाथ दीक्षित अपने लेख 'संत काव्य' में कहते हैं, 'संत काव्य देश की राजनैतिक, धार्मिक तथा सामाजिक परिस्थितियों के फलस्वरूप विरचित भावनात्मक एवं अनुभूति प्रवण जन काव्य है. इनका प्रेरणा स्रोत था-सामान्य मानव का हित साधन. फलस्वरूप समाज में लिप्त न होकर भी संत कवियों ने समाज कल्याण का मार्ग अपनाया और जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में शोषित और प्रताड़ित मानव की समस्त प्रवृत्तियों, परिस्थितियों और भावनाओं का गंभीर विचारयुक्त यथा तथ्य चित्रण किया. इस प्रकार संत साहित्य आध्यात्मिक अनुभूतियों का लेखा जोखा मात्र नहीं है. उसमें तत्कालीन जीवन का प्रतिबिम्ब भी विद्यमान है.' संत कवियों ने जिन मानव मूल्यों का चित्रण अपने काव्य में किया, वह उनके अपने अनुभव के आधार पर किया, उन मूल्यों को उन विचारों को संत कवियों द्वारा अपने जीवन में पहले जिया गया और स्वयं अपनी ही जीवन शैली को आदर्श रूप में प्रस्तुत किया गया. सभी संत कवियों द्वारा सांसारिक मोह माया को ईश्वर भक्ति में सबसे बड़ी बाधा माना गया है. संत कवियों का कहना है कि काम, क्रोध, मद, लोभ और मोहपञ्च विकार हैं और व्यक्ति इनके पाश में फँस कर पथ भ्रष्ट हो जाता है और इनसे मुक्त होने का एक ही मार्ग है और वह है-ज्ञान की प्राप्ति-

संतो भाई आई ज्ञान की आंधी
भ्रम की टाटीसबै उड़ानी माया रही न बाँधी।

संत कवियों ने अपने अपने धर्म को श्रेष्ठ बताते हुए दूसरे धर्म को निकृष्ट बताने वालों पर भी प्रहार किया. उनके अनुसार कोई भी धर्म गलत बात नहीं सिखाता और हर धर्म में मूल भाव मानव धर्म को पालन करने का ही बताया गया है. कबीरदास जी अपने अपने धर्म को श्रेष्ट कहने वाले हिन्दू और मुसलमान दोनों पर प्रहार करते हुए कहते हैं-

हिन्दू कहे मोहि राम पियारा/तुर्क कहे रहिमाना/आपस में दोऊलरि/मुए मरमकाऊ न जाना।

संत कबीर की उक्त पंक्तियाँ आज की परिस्थितियों में नितांत सार्थक प्रतीत होती हैं. आज भी हमारे देश में

साम्प्रदायिक वातावरण है और इस बात की नितांत आवश्यकता है कि जन मानस किसी भी धर्म के मूल भाव को समझते हुए एक दूसरे की जीवन शैली और धर्म की बुराइयों को इंगित न करते हुए केवल अच्छी बातों को समझे और मानव धर्म का पालन करे.

एक ओर संत कबीर मंदिर के लिए रूढ़ियों की आलोचना करते हुए कहते हैं-

पाथर पूजे, हरि मिले तो मैं पूजूँ पहार।
वह चक्की भली पीस खाय संसार।

इसी प्रकार मुल्ला द्वारा मस्जिद पर चढ़कर आवाज लगाने के बारे में कबीर दास कहते हैं-

काँकर पाथर जोरि के मस्जिद लई बनाय/ता चढ़ी मुल्ला बांग दे बहिरा हुआ खुदाय।

अर्थात क्या अल्लाह बहरा हो गया है जो प्रतिदिन मस्जिद पर खड़े होकर उसे पुकारा जाता है. संत कवियों का उद्देश्य किसी भी धर्म की धार्मिक आस्थाओं पर प्रहार करना अथवा चोट पहुंचाना कदापि नहीं था परन्तु उनके द्वारा धर्म के मूल तत्व को समझाने का प्रयास किया गया और रूढ़ियों तथा वाह्य आडम्बरों का कड़े शब्दों में विरोध किया गया.

कबीर दास तथा अन्य सभी संत कवियों ने आत्मिक विकास को सर्वोपरि रखा और सभी प्राणियों के प्रति समभाव रखने का ज्ञान दिया. संतों की वाणी हर काल में इसलिए भी प्रासंगिक हैं और रहेंगी क्योंकि संत कवियों द्वारा अनुभूति के आधार पर रचनाएं की गयीं थी-

तू कहता कागद की लेखी, मैं कहता आंखन की देखी
करत विचार मन ही मन उपजी, कहीं गया न आया।

आज भी मनुष्य अपने जीवन में उन्हीं घटनाओं का सामना कर रहा है, जिसमें सम्बन्धियों द्वारा छल कपट, लालच के वशीभूत होकर अधिक से अधिक धन कमाने की, धन संपत्ति संचयन की लालसा तथा अन्य लिप्साएं मानव मन को भटकाने का कार्य कर रहीं हैं.

जीवन अनुभव हर काल में समान ही होते हैं और लगभग हर व्यक्ति जीवन के विकारों से न केवल ग्रसित होता है बल्कि उसका जीवन विकारों से प्रभावित भी होता है और यही कारण है कि हर काल में व्यक्ति के लिए मानव मूल्यों की सार्थकता प्रासंगिक होती है. संत कबीर दास काल की अवश्यमभाविता बताते हुए कहते हैं कि सम्पूर्ण जीवन व्यक्ति ऐश्वर्य की लालसा में धन संचयन करता रहता है, पाप भी करता है. पर यह विस्मृत कर देता है कि आज संचयन कर रहा है और अगले पल ही यदि मृत्यु हो गयी तो सब यहीं रह जाएगा और देह मिटटी में मिल जायेगी. इसीलिए वह ईश्वर से उतना ही देने को कहते हैं कि परिवार का भरण पोषण भी हो जाए और यदि कोई मांगने वाला साधु आये तो उसका भी भला हो जाए :

साईं इतना दीजिये जामे कुटुंब समाय
मैं भी भूखा न रहूँ, साधू न भूखा जाए।

वर्तमान स्थिति में बढती हुई लालसाओं को देखते हुए यह अत्यंत आवश्यक है कि व्यक्ति में संतोष प्रवृत्ति का विकास हो. महत्वाकांक्षाओं और मोह, माया, लोभ आदि विकारों के कारण व्यक्ति अपनी आवश्यकता से अधिक संचयन करने लगा है, जिसके कारण समाज में वर्ग भेद बढ़ता जा रहा है. धन के पीछे भागने वाले मानव को संतोष रुपी धन का महत्त्व बताते हुए संत कबीर दास कहते हैं-

दुई सेर मांगो चूना, पाव घीय संग लूना
आध सेर मांगी दालें, मो को दोनों बखतजिवा लें।

इस प्रकार समाज में व्याप्त विभिन्न बुराइयों को इंगित करते हुए संत कबीर मानव से स्वयं के भीतर की बुराइयों को दूर करने का आग्रह करते है. व्यक्ति के स्वयं के भीतर बुराइयां होती हैं और वह दूसरों पर ऊँगली उठाता है. कबीरदास कहते हैं पहले अपना आचरण शुद्ध करो और अपने विचारों में पवित्रता लाओ

हम घर जारा आपना लिया मुराडा हाथ
अब जारौं घर तासु का, जो चलै हमारे साथ

कबीर दास का निम्न दोहा यदि आज के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए, तो उस संत की नीयत की व्याख्या करता है, मनोवृत्ति का बखान करता है, जो समाज को सुधारने हेतु आगे आकर खड़ा हुआ है अर्थात समाज का नेतृत्व करने वाले व्यक्ति की विशेषता बताता है-

कबीरा खड़ा बाजार में, सबकी मांगे खैर
ना काहू से दोस्ती, न काहू से बैर।

संत कवियों द्वारा मूर्ति पूजा का विरोध, बहुदेव वाद का विरोध किया गया और बहुत ही स्पष्टवादिता और ठोसता के साथ अपना मत प्रसारित किया गया. अभिमान को त्याग कर ही विनम्रता और शिष्टता के साथ ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है, संत रैदास कहते है-

कह रैदास तेरी भगतिदूरि है भाग बड़े सो पावै/तजि अभिमान मेटि आपा पर, पिपिलकह वैचुनिखावै।

रैदास ने ऊंच नीच की भावना और ईश्वर भक्ति के नाम पर किये जाने वाले विवाद को सारहीन तथा निरर्थक बताया और प्रेमपूर्वक मिल जुल कर रहने का उपदेश दिया. सभी संत कवियों ने राम, कृष्ण, करीम, राघव,

अल्लाह, खुदा आदि नाम से बुलाये जाने वाले ईश्वर तत्व को एक रूप माना है. रैदास का कहना है कि वेद, कुरआन पुराण आदि सभी धर्म ग्रंथों में एक ही परमेश्वर का गुण गान किया गया हैः

कृस्न, करीम, राम, हरि, राघव, जब लग एक न पेखा/वेद, कतेब, कुरानपुरानन सहज एक नहिं देखा।

इसी प्रकार से संत कबीर वेद विरुद्ध परंपरा चल पड़ी तो उसके लिए भी कहते हैं-

वेद कतेब कहो मत झूठा, झूठा जो न विचारै।

वेद और कुरआन को झूठ बताने वाले अज्ञानी हैं क्योंकि उन्होंने इन ग्रंथों को न पढ़ा न विचार किया।

इसी प्रकार दादू दयाल भी लिखते हैं-

दादू काजी कजा न जाणहीं, कागद हथि कतेब।/पढता पढता दिन गए, भीतरी नाही भेद।

संत कवियों की एक विशेषता और भी थी कि संत कबीरदास तथा अन्य संत गृहस्थ भी थे और अपने परिवार का पालन करते हुए तथा पारिवारिक व्यवसाय को आगे बढाते हुए इन संतों ने न केवल निरक्षर होते हुए भी ज्ञान प्राप्त किया वरन उस ज्ञान को स्वयं तक सीमित नहीं रखा, उसे जन मानस तक पहुंचाया. आज अनेक तीर्थ यात्रा करने वालों के लिए यह कहावत उचित प्रतीत होती हैः

मन चंगा तो कठौती में गंगा।

अर्थात आज मनुष्य अनेक विकारों से युक्त पाप युक्त जीवन व्यतीत करता है और तीर्थ यात्रा करके गंगा स्नान करके पाप मुक्त और पवित्र हो जाना चाहता है, जबकि मन क्लेश से पूर्ण है. व्यक्ति का अंतर्मन ही उसके हर कार्य का साक्षी होता है और इसीलिए व्यक्ति को वही कार्य करना चाहिए जो उसका मन कहे।

वर्तमान समय में जो व्यक्ति को स्वयं को संतों की श्रेणी में रखते हैं और भिन्न रूप से उपदेश जन मानस तक पहुंचाते हैं. क्या उनका जीवन भक्ति कालीन संतों से प्रेरित है? क्या वर्तमान संतों और साधुओं की जीवन शैली जन मानस के लिए आदर्श प्रस्तुत करती है? क्या आज स्वयं को साधु बुलाये जाने वाले व्यक्ति उस सादगी, सात्विक, संतोष, परहित और फक्कड़ प्रवृत्ति से युक्त हैं? आवश्यक है कि तत्कालीन भक्ति संतों के जीवन से प्रेरणा लेते हुए आज के संत साधु शुद्ध और पावन जीवन शैली को अपनाएँ और अपने जीवन में मूल्यों को समाहित करते हुए जन मानस को और समाज के हर वर्ग के समक्ष आदर्श प्रस्तुत करें.

भक्तिकालीन संत काव्य प्ररम्परा में गुरु का महत्त्व बताया गया है. संत कबीर दास ने गुरु के बिना ज्ञान को अपंग माना है. गुरु को ईश्वर को प्राप्त करने का मार्ग दर्शक बताते हुए कहते है-

गुरु गोबिन्द दोउ खड़े काके लागूँ पाई बलिहारी गुरु आपने जिन गोबिन्द दिया बताई।

वर्तमान समय में गुरु की महत्ता विभिन्न लालसाओं के कारण कहीं विलुप्त सी हो गयी है. इसका कारण भी सामयिक परिस्थितियां हैं, जिनमें गुरु के द्वारा दी जाने शिक्षाओं का व्यवसायीकरण हो गया है. भौतिक इच्छाओं की पूर्ति हेतु गुरु का ज्ञान तिरोहित सा हो गया प्रतीत होता है.

सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपगार/लोचन अनंत उघाडिया, अनंत दिखावणहार।

चूंकि संत कवि साक्षर नहीं थे, और गुरु का महत्त्व सिद्ध नाथ परंपरा से प्राप्त किया था. अतः वेद शास्त्र का खंडन करते हुए गुरु की महिमा को ही सर्वोपरि मानते हैं.

कहने का तात्पर्य यह है कि गुरु का स्थान तत्कालीन समाज में इतना महत्वपूर्ण और सर्वोपरि था कि ईश्वर से पहले गुरु को प्रणाम किया जाता था, परन्तु आज इस भावना को संभवतः ही कहीं स्थान प्राप्त होगा, क्योंकि अपने अपने धर्म और वाह्य रूपेण स्थित विश्वासों के आधार पर बहुदेव वाद का प्रचलन है और अंतर्मन में स्थित विश्वास कहीं लुप्त प्राय हैं. भक्तिकालीन संत काव्य में बहुदेव वाद का खंडन करते हुए एकेश्वर वाद को स्थापित इसलिए भी किया गया कि संत कवि समाज में एकता और धर्म के नाम पर होने वाली कटुताओं को समाप्त करना चाहते थे. संत काव्य ध ारा के प्रमुख कवि संत कबीर दास की भक्ति के सम्बन्ध में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी अपने लेख 'भारतीय धर्म साधना और कबीर' में कहते हैं,' उन्होंने समस्त व्रतों, उपवासों तथा तीर्थों को एक साथ अस्वीकार कर दिया. इनकी संगति लगाकर और अधिकार भेद की कल्पना करके इनके लिए भी दुनिया के मान सम्मान की व्यवस्था कर जाने को उन्होंने बेकार परिश्रम समझा. उन्होंने एक अल्लाह निरंजन निर्लेप के प्रति लगन को ही अपना लक्ष्य घोषित किया. इस लगन या प्रेम का साधन यह प्रेम ही है और कोई भी मध्यवर्ती साधन उन्होंने स्वीकार नहीं किया. प्रेम ही साध्य है, प्रेम ही साधन व्रत भी नहीं, मुहर्रम भी नहीं, पूजा भी नहीं नमाज भी नहीं, हज भी नहीं, तीर्थ भी नहीं.'

इस प्रकार देखा जाए तो संत कवि गुरु से प्राप्त ज्ञान और निर्गुण के प्रति प्रेम

को ही सत्य जीवन का आधार मानते हैं :

पोथी पढ़िपढ़ि जग मुआ पंडित भया न कोई ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होई।

और कहते हैं कि अहंकार के साथ हरि को पाना और हरि की भक्ति करना नितांत असंभव है. वर्तमान रूप में अहंकार ने परिवार के प्रति भावनाओं को समाप्त कर दिया है तो अहंकार के साथ ईश्वर की भक्ति किस प्रकार संभव हो सकती है? हरि के साथ एकाकार होने का साधन यही है कि पहले अहंकार का अंत किया जाएः

जब मैं था तो हरि नहीं,/अब हरि है मैं नाहिं।/प्रेम गली अति सांकरी,/या में दो न समाहिं।

दादू भी कहते है-

जहाँ राम तहां मैं नहीं,
मैं तहां नाहीं राम।

रैदास द्वारा भी ऐसा ही कहा गया है :

जब हम होते तब तू नाहीं अब तू ही मैं नाहीं/अनल अगम जैसे लहरी मइउदधि जल केवल जलमाहीं।

यद्यपि संत कवि न तो साक्षर थे और न ही उन्होंने वेद, पुराण, उपनिषद, बौद्ध, सूफी, नाथ सिद्ध, शास्त्र, कुरआन आदि का अध्ययन किया था परन्तु सुनकर और अनुभव करके इन सभी के द्वारा बताये गए गुणों को आत्मसात करके अपने जीवन में उतार लिया था. संत कवियों द्वारा इन सभी धाराओं में स्थित दर्शन का समावेश अपने काव्य में किया गया. आचार्य रामचंद्र शुक्ल अपनी पुस्तक में लिखते हैं. सारांश यह है कि जो ब्रह्म हिन्दुओं की विचार पद्धति में ज्ञान मार्ग का निरूपण था, उसी को कबीर ने सूफियों के ढर्रे पर उपासना का ही विषय नहीं, प्रेम का विषय बनाया और उसी की प्राप्ति के लिए हठयोगियों की साधना का समर्थन किया. इस प्रकार उन्होंने भारतीय ब्रह्मवाद के साथ सूफियों के भावात्मक रहस्यवाद, हठयोगियोंके साधनात्मक रहस्यवाद और वैष्णवों के अहिंसावाद और प्रपत्तिवाद का मेल करके अपना पंथ खड़ा किया. उनकी वाणी में ये सब अवष्य स्पष्ट लक्षित होते हैं.

हमारे देश की वर्तमान स्थिति और पूर्व मध्य काल की राजनैतिक स्थिति लगभग सामान है, और देश की राजनैतिक स्थिति का प्रभाव समाज और जन मानस पर न पड़े यह असंभव है. आज हमारे देश में शासक और शासित में भ्रम की स्थिति है. आज साम्प्रदायिक सौहार्द स्थापित करने की आवश्यकता है. कबीर साम्प्रदायिक सौहार्द के लिए बार बार यह बात कहते हैं-

हिन्दू मुए राम कहि, मुसलमान खुदाई। कहै कबीर सो जीवता, दुई मैं कदै न जाइ।।

दादू कहते है-

दादू न हम हिन्दू होहिंगे न हम मुसलमान।/षट्दर्शन में हम नाहीं, हम राते रहिमान।।

कबीर कहते हैं-

काबा फिर कासी भय, राम भया रहीम।/मोटचून मैदा भया, बैठ कबीर जीम।

इस प्रकार साम्प्रदायिक सौहार्द्र आज भी प्रासंगिक है. इसी प्रकार कबीर दास ने तथा अन्य संतों ने व्यक्तित्व निर्माण पर बल देने हेतु भी रचनायें कीं और समाज को ठोस तथा देश को उन्नत बनाने हेतु व्यक्ति को अपने चरित्र निर्माण के महत्त्व को भी बताया-

कबीर आप ठगाइए और न ठगिये कोई।/आप ठगयां सुख उपजै, और ठगयां दुःख होई।

इस प्रकार संत कवियों द्वारा अनेक नीति के दोहे तथा अन्य रचनाएं भी लिखी गयीं और व्यक्ति को प्रत्येक नैतिक मूल्य का महत्त्व भी समझाया गया, जो आज भी सार्थक एवं प्रासंगिक है जैसे-

मन के हारे हार है, मन के जीते जीति कहै कबीर हरि पाइए, मन ही की परतीति।

इस प्रकार जनमानस की भाषा में ही मानव मूल्यों को इस तरह से प्रचारित किया गया कि शासित के रूप में या शोषित के रूप में भी व्यक्ति ने अपना व्यक्तित्व को उन्नत करना आरम्भ कर दिया. आज भी संत काव्य के सभी दोहे प्रासंगिक हैं और उनका अनुसरण करके न केवल व्यक्ति स्वयं की जीवन शैली को सुधार सकता है, वरन समाज और देश में समन्वय, एकता एवं सौहार्द्र का वातावरण निर्माण करने में मदद कर सकता है.

सन्दर्भ ग्रन्थ-

१. हिंदी साहित्य का इतिहास : आचार्य रामचंद्र शुक्ल
२.संत काव्यधारा : परशुराम चतुर्वेदी
३.हिंदी साहित्य का इतिहास : डा० नगेन्द्र
४.कबीर : पुनर्पाठ/पुनर्मूल्यांकन - परमानन्द श्रीवास्तव
५.कबीर ग्रंथावली - श्याम सुन्दर दास
६. कबीर- आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी
७. हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास : डा० बच्चन सिंह
८. संत काव्य की विशेषताएं : विद्याभूषण
६.हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास : डा० राम कुमार वर्मा

जिस व्यक्ति के सपने खत्म, उसकी तरक्की भी खत्म.

माँ झूठ बोलती है

-श्रीमती पूनम रानी शर्मा
कैथल, हरियाणा

सुनीता का पति मजदूरी करता था. एक दिन उसका एक्सीडेंट हो गया. मुन्ना व स्वीटी की जिम्मेवारी सुनीता पर आ गयी. पढ़ी लिखी न होने के कारण किसी के घर में काम करने जाने लगी.

'माँ! आपको बुखार है मत जाओ. आज काम करने मै चली जाती हूं.'

'नहीं, स्वीटी तुम कहीं नही जाओगी यही रहो मुन्ना के साथ.'

ऐसे कहकर सुनीता बाहर जाने लगी व स्वीटी मुन्ना को रोटी खिलाने लगी जो उसकी माँ काम करके रात को लेकर आई थी. फिर उसे तैयार करके स्कूल छोड़ आयी व घर के कामों में लग गयी. दोपहर के 12 ही बजे थे उसे दरवाजे की खट खट सुनाई दी. जब खोला तो सुनीता बाहर खड़ी थी.

'माँ, आज जल्दी आ गयी आप और तबियत भी ठीक नही लग रही.'

'हाँ, बुखार ज्यादा था. तुम्हारे लिए लिफाफे में चार रोटियां लायी हूं. खा ले मेरी बच्ची.'

'माँ, आप भी खा लो.'

'नही, स्वीटी तुम खाओ.'

स्वीटी ने खाना खाया और मुन्ना को स्कूल से लाकर उसे भी खिलाया. शाम को फिर सुनीता जाने लगी तब स्वीटी ने कहा, 'माँ मान जाओ मुझे जाने दो' सुनीता में वैसे भी काम करने की हिम्मत नही थी. अगर काम न करने गयी तो रात में बच्चों को भूखा सोना पड़ेगा ऐसा सोचकर उसने स्वीटी को काम पर भेज दिया.

स्वीटी उनके यहाँ गयी. रसोई में जाकर आटा गूंथ कर रोटी बनाई. वे साथ साथ खाते रहे. फिर बर्तन साफ किये. जैसे ही स्वीटी अपने घर रोटियों का लिफाफा लेकर जाने लगी तो एक आंटी ने कहा, 'इतनी रोटियाँ क्यों ले जा रही हो, कोई आया है क्या तुम्हारे घर.'

उसने कहा 'नहीं, आंटी जी आठ ही तो हैं. आज माँ नही आयी तो उनकी घर ले जा रही हूँ.'

'पर तेरी माँ तो सुबह चाय व दोपहर को ही खाना खाती है, शाम का नहीं'

'आंटी जी कब से.'

'हमारे घर लगी है शुरू से ही.'

स्वीटी के आगे उसकी माँ का झूठ आ जाता है.

स्वीटी घर आई, आकर भाई को एक रोटी खिलाई, दो आप खायी. मुन्ना को सुला दिया और अपनी माँ के पास चार रोटियाँ ले जाकर कहा, 'खा लो माँ.'

'नही, मुझे भूख नही है. वैसे कितनी हैं.'

'चार हैं माँ.'

स्वीटी समझ चुकी थी कि माँ झूठ बोल रही है आज माँ जल्दी आयी थी तो अब तक भूख नही लगी.

'कोई नही कल खा लेंगें. डिब्बे में रख के सो जा, थक गयी होगी मेरी बच्ची'

स्वीटी रोटियों को डिब्बे में रख कर लेट जाती है. आज उसे नींद नही आ रही. वह सोचती है कि पापा तो इस दुनिया में है नही. सब लोगों ने हमसे रिष्ता तोड़ लिया. अब माँ ही मेरा व मुन्ना का सहारा है लेकिन माँ झूठ क्यों बोलती है?

ऐसे सोचते सोचते स्वीटी सो गई।

माँ गरीब हो या अमीर अपने बच्चों की खुशी के लिए जो कर सकती है वह जरूर करती है. बच्चे समझें या ना समझें.

श्री पंत और डा. दवे हिन्दी गौरव अलंकरण से विभूषित

इंदौर. हिन्दी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए प्रतिबद्ध 'मातृभाषा उन्नयन संस्थान' द्वारा हिन्दी गौरव अलंकरण समारोह आयोजित किया गया. वर्ष 2021 के हिन्दी गौरव अलंकरण से मध्यप्रदेश राष्ट्रभाषा प्रचार समिति के मंत्री कैलाश चंद्र पंत व साहित्य अकादमी, म०प्र० शासन के निदेशक डा. विकास दवे को विभूषित किया गया. अभिनंदन पत्र का वाचन डा. अर्पण जैन 'अविचल' द्वारा किया गया. समारोह के मुख्य अतिथि नई दिल्ली से वरिष्ठ पत्रकार डा. वेदप्रताप वैदिक जी एवं चेन्नई के वरिष्ठ साहित्यकार एवं समीक्षक प्रो. बी. एल. आच्छा जी ने अध्यक्षता की. इस अवसर पर डा. वैदिक ने कहा, 'हिन्दी की गौरव गाथा जनमानस के बीच पहुँचनी चाहिए, और इसके लिए मातृभाषा उन्नयन संस्थान अच्छा कार्य कर रहा है.'

अलंकरण समारोह में मेरठ से शुभम त्यागी, झाबुआ से हिमांशु भावसार, इंदौर से गौरव साक्षी एवं महेंद्र पवार व भोपाल से अपूर्वा चतुर्वेदी को काव्य गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया. समारोह का संचालन कवि अंशुल व्यास ने किया। आयोजन में हरेराम वाजपेयी, राममूरत राही, प्रवीण खारीवाल, संजीव आचार्य, डा. कमल हेतावल, लव यादव, अजय जोशी आदि उपस्थित रहे.

तेरहवीं

शाम को एक छोटा सा कार्ड बिना दरवाजा खटखटाए कोई फेंक गया. रात को मुन्ना हाथ में लिये मुझे दिखा रहा व बोला, ''अम्मा, पिछली गली वाली दादीजी की तेरहवीं है. कल दोपहर का खाना है व 2 से 3 बजे तक पगड़ी की रसम.'' उसके बताते ही मेरे शरीर में बिजली सी कौंध गई. मेरा अच्छा-खासा प्यार था उनसे. दूसरे दिन मैं समयानुसार उनके पिछले वाले बड़े से आँगन में पहुँच गई. बड़ा सा शामियाना, आजाद टैंट वालों का इन्तजाम. खाना सजा हुआ, लोग घूम-घूमकर चटकारे लेकर खाते हुए. सिर्फ कमी थी तो ये कि डी.जे. के अश्लील गानों पर लोग नाच नहीं रहे थे. माहौल चुपचाप खाकर, लिफाफा पकड़ाकर जाने का था. कोने में खड़ी-खड़ी मैं ये दृश्य देख रही थी कि अचानक मेरा ध्यान दादी की उस स्थिति पर चला गया, जब मैं उन्हें आखिरी बार मिलने गई थी. ढीली खाट, जिस पर बिछी चादर न जाने कब बिछाई गई थी. गुच्छा-गुच्छा होकर दादी के बदन को तंग कर रही थी, दादी कभी इधर से सीधी करती कभी उधर से. तकिया बेहाल था. कमरे में जीरो वॉट का बल्ब था. न कोई खिड़की, न झरोखा. पास में एक प्लास्टिक की टूटी बालटी पड़ी थी. सुबह-सुबह पानी का लोटा, गिलास रख दिया जाता. लाख आवाजें देने पर भी कोई न आता. हरिया भागता-भागता कभी-कभी चाय का गिलास, दो रस दे जाता. दादी बेचारी हाँफती-हाँफती उठती, मुश्किल से नहाती, धोती, अपने अस्त-व्यस्त बाल अपने हाथों से सुलझाती. कभी किसी से कोई शिकायत न करती. कोई हाल पूछता तो कहती, ''बेटा बुढ़ापा ही तो सबसे बड़ी बीमारी है.'' तरस आता उन्हें देखकर. किसी के पास वक्त न था उन्हें कुछ पूछने का, उनकी सेवा करने का, पर आज ये लाखों रूपये खर्च कर दिखावा क्यूँ?

-शबनम शर्मा, सिरमौर, हि.प्र.

विवशता

रात के दस बज चुके थे. डॉ० पीयूष जैसे ही घर के अंदर घुसा बिना किसी से कुछ भी बोले धम्म से सोफे पर बैठ गया. 'अरे क्या हुआ बेटा? सब ठीक तो है? कपड़े भी अजीब से हो रहे हैं जैसे किसी से हाथापाई हुई हो. चेहरा भी तमतमाया हुआ है?' घबराते हुए पापा ने पूछा. डॉ० पीयूष ने कहा कि पापा इसमें मेरा कोई क़सूर नहीं और ये कहकर चुप हो गया. 'किस बात में तेरा क़सूर नहीं है? पहेलियाँ ही बुझाता रहेगा या कुछ बताएगा भी?' पापा ने पुनः अत्यंत व्यग्र होते हुए अपने बेटे पीयूष से वास्तविकता जाननी चाही. डॉ० पीयूष ने पापा से आँखे चुराते हुए संक्षिप्त सा उत्तर दिया, 'पापा मैं अपने क्लीनिक से वापस आ रहा था. यहीं पास की मार्किट में एक शराबी बिना बात मुझसे बत्तमीज़ी करने लगा और मैं उसे ठोक आया.' 'ठोक आया मतलब? किसी को जान से मार आया क्या इडियट?' पापा ने बेचैन होकर पूछा. 'नहीं मार-वार के नहीं आया. आप घबराओ नहीं. पहले आप मेरी पूरी बात सुन लो और अगर मेरा रत्ती भर भी क़सूर हो तो जो सज़ा चाहो मुझे दे देना. मैं अपनी गाड़ी से मार्किट पहुँचा तो एक शराबी स्कूटर पर लहराते हुए मेरी गाड़ी के आगे-आगे चलने लगा. मैंने हॉर्न बजाया तो उसने स्कूटर रोककर मेरी गाड़ी के सामने खड़ा कर दिया. मैंने गाड़ी रोककर उससे कहा कि अपना स्कूटर हटा ले पर वो गालियाँ देने लगा. मैंने किसी तरह प्यार से बोलकर और हाथ जोड़कर उसका स्कूटर हटवाया और अपनी गाड़ी चलाने लगा तो वो पुनः गाड़ी के साथ-साथ दौड़ने और भद्दी-भद्दी गालियाँ निकालने लगा.' पापा ने कहा कि वो गालियाँ निकाल रहा था तो निकालता रहता तू चुपचाप अपने घर आ जाता. क्या ज़रूरत थी फालतू में पंगा लेने की? सब तेरी सहनशक्ति की प्रशंसा करते हैं फिर आज ऐसा क्या हो गया था जो मार-पिटाई की नौबत आ गई?

पीयूष ने कहा, 'पापा जब मैं आराम से चलने लगा और वो शराबी मुझे भद्दी-भद्दी गालियाँ देने लगा तो अपने पड़ौस के कई लड़के भी वहाँ खड़े थे.' 'क्या उन्होंने उस शराबी से कुछ नहीं कहा?' पापा ने जानना चाहा. 'पापा वे सब दाँत फाड़ने और मेरा मज़ाक उड़ाने लगे. पापा जो मैं चुपचाप चला आता तो ये कमीने लोग ज़िंदगी भर मेरा मज़ाक उड़ाते और मेरा गली से निकलना मुश्किल कर देते.' पीयूष ने अपनी सफाई में कहा. पीयूष ने आगे कहा, 'मैंने गाड़ी से उतरकर उसकी जमकर धुनाई की. मैं ऐसा बिलकुल नहीं करना चाहता था पर मेरी प्रतिष्ठा का सवाल था. मेरी मजबूरी थी पापा.' 'चलो जो हुआ सो हुआ पर आगे से ध्यान रखना.' ये कहते हुए पापा ने बेटे डॉ० पीयूष के कंधे पर हाथ रख दिया और फिर स्वयं से कहा, 'असल में धुनाई मज़ाक उड़ाने वाले पड़ौस के इन लफंगों की भी होनी चाहिए थी.'

-सीताराम गुप्ता, पीतम पुरा, दिल्ली

भारत का ५१वां अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह शानदार फिल्में फीका समारोह

नई व्यवस्थाओं ने दर्शकों को निराश किया

गोवा से लौटकर ब्रजभूषण चतुर्वेदी (बीबीसी) फिल्म अनुपम सरकार की इच्छा वाली हो व फिर करोनाकाल को न तो जो सोचा व अच्छे रूप में कर दिखाया. यही हाल कुछ अव्यवस्थाओं के बीच भारत के 51वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह का हाल गोवा में दर्शकों को मिला. 16—24 जनवरी तक चले इस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह ने कुछ बातें तो अमिट ही कर दी है. यहां मैं एक बात अवश्य कहना चाहता हूं कि यह मेरे जीवन में 49वां था. जबकि भारत सरकार का यह 51वां इफ्फी था. मैं विगत् 17 वर्षों से लगातार शिरकत भी कर रहा हूं. लेकिन यह भव्य समारोह मुझे बहुत फीका फीका लगा. जबकि इस समारोह में 56 देशों की लगभग 180 फिल्में दिखाई गई.

इतने बड़े भव्य समारोह में जहां 85 फिल्मों के तो वर्ल्ड प्रीमियर हुये कुछ शानदार फिल्में जिन पर सूची में मैंने अंडर लाईन किया है. बहुत शानदार थी. कुछ हिंदी फिल्में तो अन्य देशों के व दूसरे प्रान्तों के लोगों पर छा गई. ऐसी कुछ फिल्में मुझे नयापन देती दिखाई दी. समारोह में जिस फिल्म की सर्वाधिक चर्चा हुई वह भी लखनऊ में पूरी तरह शूट की गई. युवा संदीप (आद्रिया) के निर्देशक थी फिल्म 'मेहरूनिया' हिंदी फिल्म की एक नवाब परिवार की हवेली व कहानी. नानी दो बेटों की व नवासी का जलवा इस वादों की बौछार, 80 वर्ष के कलाकार का जज्बा. फिल्म में न स्थापित कलाकार है न संगीत लेकिन संवाद अभिनय कहानी, पार्श्व संगीता के भरपूर जलवा दिखा दिया. इंडियन पेनोरमा की लगभग 40 छोटी बड़ी फिल्मों ने इस जीत लिया वहीं फ्रांस, जर्मनी, बांग्लादेश, जापान, अर्जेन्टीना आदि देशों की फिल्मों को भी पसंद किया गया. सात हाल में आयोजित व कलाकार भी दर्शन इधर उधर भाग रहे. समारोह सादगी भरा था. करोना के पूरे निर्देशों का पालन किया गया. सभी हाल सेनिटाईज किये जाते थे. दर्शकों के बैठने की दूरी एक एक सीट छोड़कर की गई थी. किन्तु पूरा समारोह वरचुअल व आनलाईन होने से फीका फीका रहा. लगभग सभी हालों उपस्थिती आधी रही.

वैसे गोवा में पूरी तरह सजाया गया था लेकिन उद्घाटन व समापन के कार्यक्रम में 300 लोगों को ही लाया गया. इस बार मीडिया की सेना करीब करीब समारोह में गायब रही. विदेशी मेहमानों का अभाव सबको खटक रहा था. यह

–ब्रजभूषण चतुर्वेदी (बीबीसी)

ऐसा समारोह था जिसमें कलाकार नदारद थे जब कि यह ग्लेमर वर्ल्ड का कार्यक्रम होता है. माधुरी दीक्षित, अनुपम खेर, अनिल कपूर, अमिताभ बच्चन व कई देश-विदेश के फिल्मकारों ने संदेशा भेजा लेकिन कोई आया ही नहीं. वहां के हाल देखकर कुछ दर्शकों ने कहा कि ऐसे फीके समारोह को दिल्ली बम्बई करना में करना चाहिए जहां दर्शक ज्यादा आनंद ले सकें.

समारोह में सब ऑनलाईन था अतः दर्शक परेशान होते रहे. न टिकिट था न कार्यक्रम के पन्ने, न कोई फिल्में थीं जानकारी बस स्मार्टफोन देखो व समारोह का आनंद लो. पत्रकार वार्ता को तो ये हाल था कि 8—10 लोग ही बैठे दिखे थे जब कि सामने संसार के बड़े बड़े फिल्मीं हस्तियां होती थी.

फिर भी कोरोना महामारी के बीच ऐसा भव्य समारोह आयोजित करना बड़ा साहस का काम था. गोवा सरकार, भारत सरकार, इन्टरटेंनमेंट सोसायटी गोवा के प्रयत्न सफल रहे व नौ दिवसीय यह समारोह समापन हो गया. चूंकि जब 52 वां भारत का अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह नवम्बर 2021 में होगा जिसकी तैयारियों अभी से बहुत हो चुकी है. बाय बाय गोवा.

एक करोड़ के पुरस्कार व सम्मान

देश विदेश की समारोह एवं अच्छी फिल्मो के सात सदस्यीय जूरी ने चयन किया व स्वर्ण मयूर, रजत मयूर, कांस्य मयूर के साथ साथ सर्वोत्तम निर्देशक व लाईफ टाईम अवार्ड देकर एक करोड़ की समारोह में खर्च की गई.

काला अजर (ग्रीस), पंचिना (भारत), सांड की आंख (भारत), लोग ऑफ मूक (कनाडा), कामन क्राईम (अर्जेन्टाईना), नेमेड एनीकल (जर्मनी), पेरेडाईज (इटली), बावी (भारत), ड्राम क्वीन (भारत), सायजेट फाईस्ट (तायवान), इन टू द डार्कनेस (डेनमार्क), वाईस लेख (फ्रांस), हियर वी आर (इजराईल), कटर्सवे (अमेरिका), दिस इस माय डिजायर (अमेरिका), स्टोरी ऑफ ए पेंटिंग (रूस), केदारनाथ (भारत), खीसा (मराठी), छोटी-सी बात (हिंदी), 180 डिग्री वेस्ड (ईरान), वाइल्ड फायर (आयरलेंड), इन द डस्क (फ्रांस), सेफ (मलयालम), ईसाक (स्पेन), जादू (अंग्रेजी), गांधी (अंग्रेजी), लव अफेयर (फ्रांस), स्कूल गार्डस (स्पेन), लेड्स ऑफ गॉड (भारत), स्टारडस्ट (यूके), चिल्ड्रन आफ द सन (श्रीलंका), देवदास (भारत), हसीना (बांग्लादेश), बार्डर (कोलम्बिया), डोमीन (पुर्तगाल), कपिला (मलयालम), मेटरनल (इटली), अनी उमंग (सर्विया), पानसिंह तोमर (भारत), रेड मूनटाईड (स्पेन), रनिंग अगेन्सर बिल (जर्मनी), जेस्टर (ईरान), स्केयर (स्वीडन), समरटाईम (अमेरिका), सिंपल मेन (ग्रीस), नेता जी सुभाशचन्द्र बोस (भारत), वेजी आफद गाड (पोलेंड), फरवरी (फ्रांस), वाईस (कोकिला) वाईफ ऑफ ए स्पाम (जापान)।

-वरिष्ठ पत्रकार फिल्म लेखन, समीक्षक, फिल्म इतिहासकार, ३०१, प्रभात रेसीडेंसी, तिलकपथ मेन रोड, इन्दौर-४५२००७

विभिन्न भाषाओं को जोड़ती है नागरी लिपि : उप्रेती

नारनौल। 'नागरी लिपि विश्व की सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक लिपि तो है ही, यह विभिन्न भाषाओं को भी आपस में जोड़ती है.' उक्त विचार नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान, काठमांडू के कुलपति गंगाप्रसाद उप्रेती ने मनुमुक्त 'मानव' मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा आयोजित 'अंतरराष्ट्रीय ई-नागरी लिपि सम्मेलन' में बतौर मुख्य अतिथि कही. उन्होंने कहा कि संस्कृत, हिंदी, नेपाली, मैथिली, मराठी, भोजपुरी आदि अनेक भाषाओं को देवनागरी लिपि एकता के सूत्र में पिरो देती है, जिससे इन्हें समझना सरल हो जाता है. हिंदी साहित्य अकादमी, मोका (मॉरीशस) के अध्यक्ष डा० हेमराज सुंदर और हिंदी यूनिवर्स फाउंडेशन, एम्स्टर्डम (नीदरलैंड) की अध्यक्ष डॉ० पुष्पिता अवस्थी ने नागरी को विश्वलिपि बताते हुए कहा कि देवनागरी भारत की अनेक भाषाओं और बोलियों की ही लिपि नहीं है, बल्कि नेपाली (नेपाल), (फीजीबात) फीजी और सरनामी (सूरीनाम) आदि भाषाओं की भी लिपि है तथा अनेक देशों में बसे करोड़ों प्रवासी भारतीय और भारतवंशी विभिन्न भाषाओं को इसके माध्यम से लिख और पढ़ रहे हैं. नागरी लिपि परिषद्, नई दिल्ली के अध्यक्ष डॉ० प्रेमचंद पतंजलि ने अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में कहा कि नागरी लिपि विभिन्न बोलियों के लिए ही नहीं, तमाम भारतीय भाषाओं के लिए भी नागरी उपयोगी लिपि सिद्ध हो सकती है। उन्होंने आश्वस्त किया कि इंटरनेट आदि साधनों के माध्यम से भी नागरी लिपि को प्रतिष्ठित करने का प्रयास किया जाएगा. विशिष्ट अतिथि डॉ० शहाबुद्दीन शेख ने नागरी लिपि के स्वरूप, विकास, महत्त्व और प्रासंगिकता पर प्रकाश डाला.

आयोजन में चीफट्रस्टी डा० रामनिवास 'मानव', डा० जितेंद्र भारद्वाज, कोलम्बो-श्रीलंका के डा० लक्ष्मण सेनेविराठने, ऑकलैंड-न्यूजीलैंड के रोहितकुमार 'हैप्पी', कोलोन-जर्मनी की डॉ० शिप्रा शिल्पी, डॉ० हरिसिंह पाल आदि ने अपने विचार प्रस्तुत किए।

गोष्ठी का कुशल संचालन डॉ० पंकज गौड़ ने किया.

सूफी कवियों ने सामाजिक सौहार्द बनाए रखने का अदभुत उदाहरण दिया

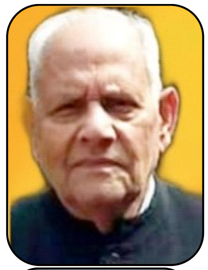

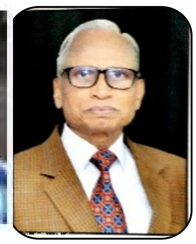

'न तो धर्म मस्जिद में पढ़ी जाने वाली नमाज है न ही धर्म पूजा है. परहित में किया जाने वाला कार्य ही धर्म है. सूफी कवियों ने सामाजिक सौहार्द बनाए रखने का अदभुत उदाहरण दिया.' उक्त विचार विश्व हिन्दी साहित्य सेवा संस्थान प्रयागराज द्वारा आयोजित आनलाइन साहित्यिक विचार गोष्ठी में में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित डा० विजयालक्ष्मी रामटेके, अध्यक्ष हिन्दी विभाग, केसरीमल पोरवाल महाविद्यालय, महाराष्ट्र ने प्रस्तुत किए.

'हिन्दी सूफी काव्य में धर्म निरपेक्षता' विषय पर आयोजित गोष्ठी की अध्यक्षता कर रहे लखनऊ विश्वविद्यालय के पूर्व हिन्दी विभागाध्यक्ष डा० सूर्य प्रसाद दीक्षित ने कहा कि 'यह विषय वर्तमान में फैल रही सामाजिक धार्मिक वैमनस्यता को एक नवीन सद्भाव की दिशा देने का सफल प्रयास था. संस्थान निरंतर विश्वविद्यालय से बाहर लाकर ऐसे विषय को नवोदित साहित्यकारों के हाथों में सौंप रहा है जो हिन्दी साहित्य सेवा हेतु पूर्णतः समर्पित हैं.'

गोष्ठी में मुख्य वक्ता के रूप में लखनऊ विश्वविद्यालय के हिन्दी विभाग के प्रो० परशुराम पाल ने कहा कि 'सूफी कवि धार्मिक कट्टरता त्याग सहिष्णुता की भावना के साथ प्रेम को ही सभी धर्मों से सर्वोपरि मानते रहे.'

गोष्ठी में निर्णायक मंडल में उज्जैन से कुलानुशासक प्रो० शैलेंद्र शर्मा ने सूफी काव्य में प्रेम के महत्व को बताते हुए कहा कि प्रेम ही सर्वव्यापी तत्व है. ईश्वर का जीव के साथ जो संबंध हो सकता है, वह प्रेम का संबंध है और यही सूफी काव्य धारा के केंद्र में है. ज्ञान, ध्यान, जप तप संयम, नियम, इन सबका महत्व प्रेम के सामने तुच्छ है. सूफी परमात्मा को ही अपने प्रेम या इश्क का अवलंब मानते हैं.

गोष्ठी के समीक्षक एवं संस्थान के अध्यक्ष सेवा० प्राचार्य, पूणे, महाराष्ट्र डा. शहाबुद्दीन नियाज मोहम्मद शेख ने कहा 'हिन्दी सूफी काव्य में धर्मनिरपेक्षता कूट-कूट कर भरी है. सूफी काव्य में प्रेम भावना है, प्रेम की पीर में वे सदा मस्त रहते है. परिणामतः हमारे देश को एकता के सूत्र में पिरोने का कार्य सूफी सन्तों ने किया है।.

लखनऊ की वरिष्ठ साहित्यकार डा० सीमा वर्मा जी ने कहा 'प्रेम मार्ग पर चलते हुए भी सूफी काव्य धारा ही अधिक प्रभावकारी और व्यवहारिक प्रमाणित हुई. मुस्लिम होते हुए भी इन कवियों ने भारतीय लोक जीवन एवं संस्कृति को अदभुत रूप में चित्रित किया है.

गोष्ठी में वक्ता के रुप में अहमदनगर, महाराष्ट्र से सहा० प्राध्यापिका डा० अंबेकर वसीम फातिमा ने कहा सूफी काव्य इस्लाम का, उसकी मूल आस्था और विश्वास तथा प्रत्यक्ष आचरण का मानसिक और रूहानी पहलू है, जिसका प्रत्यक्ष सम्बंध व्यक्ति और समाज के नैतिक उत्थान से है, जिसके आधार पर वह अपना लौकिक तथा पारलौकिक जीवन सफल कर सकता है.

रायगढ़, छत्तीसगढ़ से सह आचार्य डा. मुक्ता कान्हा कौशिक, सूफी कविता में जिस प्रकार की धर्मनिरपेक्षता है, उसका प्रारंभ इस तरह अमीर खुसरो की कविता में होता है. मुसलमान खुदा को निराकार रूप में ही देखते है. सुफियों ने उसे केवल निराकार रूप में ही नहीं देखा, मुख्यतः उसे प्रेम के रूप में देखा.

प्रयागराज, उ.प्र. महाविद्यालय की प्राचार्या डॉ० पूर्णिमा मालवीय, लखनऊ से श्रीमती कीर्ति श्रीवास्तव ने अपने गहन, तथ्यपरक विचार प्रस्तुत किए. जांजगीर, चांपा, छ.ग. से शोध छात्र लक्ष्मीकांत वैष्णव, हिंदी सूफी काव्य ध्ारा में धर्म से संबंधित कोई भी विचारध्ारा या कोई भेदभाव देखने को नहीं मिलता. इन्होंने लोक संस्कृति में छिपे हुए प्रेम भावना को उदघृत कर काव्य रचना का रूप प्रदान करके लोगों के बीच में रखा. प्रतीक योजना सूफी काव्य रचना की प्रमुख विशेषता रही है मलिक मोहम्मद जायसी जी ने पद्मावत में राघव चेतन को शैतान के रूप में तथा हीरामन तोता गुरु का प्रतीक रूप में दिखाया गया है. पद्मावत में रतन सिंह आत्मा तथा पद्मावती परमात्मा का प्रतीक है. क्योंकि हिंदी सूफी कवियों की रचनाएं मसनवी शैली में लिखी गई थी अतः बिना मसनवी शैली सीखें इनके कार्यों का मूल्यांकन करना संभव नहीं है.

संस्थान के सचिव एवं गोष्ठी के संरक्षक डा० गोकुलेश्वर कुमार द्विवेदी ने कहा 'हिंदी को विश्व पटल पर लाने के लिए ऐसी गोष्ठी की महती आवश्यकता है. संस्थान निरंतर हिंदी सेवा हेतु ऐसे कठिन एवं संकल्पित कार्यों हेतु संकल्पित है. सभी गोष्ठियों के वक्तव्यों को संस्थान के यू ट्यूब लिंक के माध्यम से सुरक्षित कर हिन्दी प्रेमियों के लिए प्रसारित किया जा रहा है. पिछली गोष्ठी में प्रस्तुत सर्वोत्कृष्ट वक्तव्य के लिए निर्णायक मंडल ने रायबरेली से श्रीमती पुष्पा श्रीवास्तव 'शैली' तथा सर्वोत्कृष्ट लघु शोध के लिए डा० सीमा वर्मा जी का चयन किया. संस्थान के श्री नरेंद्र भूषण कहा 'ऐसे समसामयिक विषयों पर आयोजित होने वाली गोष्ठी को बहुत ही साहसिक कार्य बताया साथ ही संस्थान की एक ऐतिहासिक पहल कहा. वर्तमान समय में हिंदी में सामूहिक शोध की अति आवश्यकता है.

संस्थान द्वारा ऐसी गोष्ठी प्रत्येक माह ३० तारीख को नियमित रूप से हिंदी साहित्य के इतिहास पर आयोजित की जा रही है जिसमें देश भर से ख्याति प्राप्त वरिष्ठ मूर्धन्य साहित्यकार सम्मिलित होते हैं साथ ही नवोदित साहित्यकार भी अपने विचार प्रस्तुत करते हैं. धन्यवाद ज्ञापन के साथ गोष्ठी का समापन हुआ.

डा० अर्चना वर्मा, लखनऊ द्वारा सरस्वती वंदना से प्रारंभ हुआ आयोजन डा. सीमा वर्मा ने धन्यवाद ज्ञापन से समाप्त हुआ. गोष्ठी का संचालन लखनऊ से सस्थान की हिन्दी सांसद डॉ० वंदना श्रीवास्तव ने किया तथा धन्यवाद ज्ञापन डॉ० सीमा वर्मा ने किया. गोष्ठी में ऑन लाईन श्रीमती पुष्पा श्रीवास्तव 'शैली' रायबरेली, डॉ० अनीता पंडा- मेघालय, कुमुद श्रीवास्तव लखनऊ, अवधेश अवधूत-मेघालय, अविरल आनंद, सुधाशु सक्सेना लखनऊ आदि जूड़े रहे.

एक छोटी सी कहानी

एक बार एक हंस और हंसिनी हरिद्वार के सुरम्य वातावरण से भटकते हुए, उजड़े वीरान और रेगिस्तान के इलाके में आ गये!'

'हंसिनी ने हंस को कहा कि ये किस उजड़े इलाके में आ गये हैं?'

'यहाँ न तो जल है, न जंगल और न ही ठंडी हवाएं हैं यहाँ तो हमारा जीना मुश्किल हो जायेगा!'

'भटकते भटकते शाम हो गयी तो हंस ने हंसिनी से कहा कि किसी तरह आज की रात बीता लो, सुबह हम लोग हरिद्वार लौट चलेंगे.!'

'रात हुई तो जिस पेड़ के नीचे हंस और हंसिनी रुके थे, उस पर एक उल्लू बैठा था.'

'वह जोर से चिल्लाने लगा.'

'हंसिनी ने हंस से कहा- अरे यहाँ तो रात में सो भी नहीं सकते.'

'ये उल्लू चिल्ला रहा है.'

'हंस ने फिर हंसिनी को समझाया कि किसी तरह रात काट लो, मुझे अब समझ में आ गया है कि ये इलाका वीरान क्यूँ है?'

'ऐसे उल्लू जिस इलाके में रहेंगे वो तो वीरान और उजड़ा रहेगा ही.'

'पेड़ पर बैठा उल्लू दोनों की बातें सुन रहा था.'

'सुबह हुई, उल्लू नीचे आया और उसने कहा कि हंस भाई, मेरी वजह से आपको रात में तकलीफ हुई, मुझे माफ करदो.'

'हंस ने कहा- कोई बात नही भैया, आपका धन्यवाद!'

यह कहकर जैसे ही हंस अपनी हंसिनी को लेकर आगे बढ़ा' **शेष पृ०38 पर**

लघुकथा 'गागर में सागर' भर देने वाली लोकप्रिय विधा है : डा. शंभू पंवार

लघुकथा 'गागर में सागर' भर देने वाली लोकप्रिय विधा इसलिये है कि लघुकथा कम शब्दों मे पाठक के हृदय को स्पर्श करती है. इस आशय का प्रतिपादन पत्रकारिता के क्षेत्र में अंतराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वरिष्ठ पत्रकार व लेखक डॉ. शंभू पंवार, झुंझुनूं, राजस्थान ने किया. विश्व हिंदी साहित्य सेवा संस्थान, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश की छत्तीसगढ़ इकाई द्वारा 'लघुकथा लेखन और उसकी प्रासंगिकता' विषय पर आयोजित अंतराष्ट्रीय आभासी संगोष्ठी में मुख्य अतिथि के रूप में वे उद्बोधन दे रहे थे. गोष्ठी की अध्यक्षता विश्व हिंदी साहित्य सेवा संस्थान के अध्यक्ष प्राचार्य डा०.शहाबुद्दीन नियाज मुहम्मद शेख, पुणे ने की. डा. शंभू पंवार जी ने आगे कहा कि, आधुनिक जीवन की आपाधापी व भागदौड़ में मनुष्य के पास समय की कमी है. परिणामतः हर कोई कम समय में कम शब्दों में साहित्य का आस्वाद लेना चाहता है. अतः लघुकथा समकालीन पाठकों के बहुत करीब है.

डा. सहाबुद्दीन अंसारी, उत्तराखंड ने कहा कि लघुकथा में कम शब्दों में अधिक प्रभावी बात कही जाती है. परंतु लेखन में हमारी अनुभूति अवश्य होनी चाहिए.

प्राचार्य डा. शैलचन्द्रा -धमतरी, छत्तीसगढ़ ने अपनें मंतव्य में कहा कि लघुकथा, साहित्य की एक सशक्त विधा है. आकार लघु होने के कारण उसमें प्रभावोत्पादकता आती है. विषय वस्तु के चयन में लघुकथा लेखक को सावधानी बरतनी चाहिए. संतोषप्रद लघुकथाएं पाठकों को सदा आकर्षित करती रहती हैं. लघुकथा का अपना

उद्देश्य हो और वह स्पष्ट भी हो.

डा. चितरंजन कर-भाषाविद्, रायपुर, छत्तीसगढ़ ने अपने उद्बोधन में कहा कि, लघुकथा लेखक के लिए कम शब्दों में ज्यादा कहना एक बड़ी चुनौती है. अपने लेखन को छपने से पहले उसकी बार बार जांच होनी चाहिए. लघुकथा की कथा में रोचकता और यथार्थता होनी चाहिए. कम व सरल लिखना बहुत कठिन है. लघुकथा को बौद्धिकता से बचाना जरूरी है.

श्री सुरेशचन्द्र शुक्ल 'शरद आलोक' ओस्लो, नार्वे ने कहा कि रचना और रचनाकार को अनुशासन में बांधना ठीक नहीं है. लघुकथा लेखन के लिए कोई निश्चित शब्द सीमा नहीं है. लघुकथा को छह शब्दों में भी लिखा जा सकता है.

नागरी लिपि परिषद्, नई दिल्ली के महामंत्री डा. हरिसिंह पाल ने अपने मंतव्य में कहा कि लघुकथा पांच सौ शब्दों की भी हो सकती है. पंचतंत्र के आख्यान भी लघुकथा के रुप में आते हैं. रचना की उपज अंतरमन से होनी चाहिए. सिद्धांतो को पढ़कर कोई भी लेखक या कवि नहीं बन सकता. लघुकथा को समझने के लिए उसे कम से कम दो बार पढ़ना चाहिए.हर लेखन के पीछे उसकी प्रासंगिकता ही होती है.

डा. सुनीता प्रेम यादव-औरंगाबाद, महाराष्ट्र ने कहा कि लघुकथा में पंच लाइन बहुत जरुरी है. कथा का अंत ऐसा हो कि वह एक नई कथा को जन्म दें. लघुकथा को चुटकुलों से बचाएं रखें. उसके स्थान व्यंग्य को प्राथमिकता देनी चाहिए.

संस्थान के सचिव डा. गोकुलेश्वर कुमार द्विवेदी ने प्रारंभ में अपने प्रास्तविक भाषण में कहा कि आधुनिक लघुकथा का उद्देश्य बहुआयामी है. लघुकथा में पात्र सीमित हो पर उसका शीर्षक मात्र प्रभावी हो, जो समग्र कथा का प्रतिनिधित्व करें.

डा. शहाबुद्दीन नियाज मुहम्मद शेख, ने अपनी अध्यक्षीय उद्बोबोधन में कहा कि, लघुकथा नई सदी में सामाजिक बदलाव को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है. आधुनिक काल में हिंदी लघुकथा का आरंभ सन् 1900 के आसपास से माना जा सकता है. सीमित शब्दों में असीमित भवन खड़ा करना ही लघुकथा की मुख्य विशेषता है. इसलिए लघुकथा लेखन एक दुष्कर कार्य है. लघुकथा लेखक को निरंतर अभ्यास और गंभीर मनन, चितंन के पश्चात लघुकथा का सृजन करना चाहिए.

संस्थान की छ.ग. की हिन्दी सांसद डा. मुक्ता कान्हा कौशिक ने आभासी गोष्ठी के आयोजन में अपनी महनीय भूमिका निभाते हुए कहा कि लघुकथा छोटी कहानी का अति संक्षिप्त रूप है. शाब्दिक अर्थ की दृष्टि से लघुकथा और छोटी कहानी दोंनो एक ही साहित्य-रुप का बोध कराती है. गोष्ठी के सफल व सुंदर संचालन किया.

सरस्वती वंदना डॉ० रश्मि चौबे, स्वागत डा. सरस्वती वर्मा ने किया. पटल पर महेश राजा, विभाषा मिश्र, डा.सुनीता तिवारी, अनिल शुक्लाजी, सहित अनेक विद्वान, प्रतिभागियों ने अपनी सक्रिय उपस्थिति दर्शायी.

एक छोटी सी कहानी शेष पृ०36 का.........

'पीछे से उल्लू चिल्लाया, अरे हंस मेरी पत्नी को लेकर कहाँ जा रहे हो.'

'हंस चौंका- उसने कहा, आपकी पत्नी?'

'अरे भाई, यह हंसिनी है, मेरी पत्नी है, मेरे साथ आई थी, मेरे साथ जा रही है!'

'उल्लू ने कहा- खामोश रहो, ये मेरी पत्नी है.'

'दोनों के बीच विवाद बढ़ गया. पूरे इलाके के लोग एकत्र हो गये.'

'कई गावों की जनता बैठी. पंचायत बुलाई गयी.'

'पंचलोग भी आ गये!'

'बोले- भाई किस बात का विवाद है?'

'लोगों ने बताया कि उल्लू कह रहा है कि हंसिनी उसकी पत्नी है और हंस कह रहा है कि हंसिनी उसकी पत्नी है!'

'लम्बी बैठक और पंचायत के बाद पंच लोग किनारे हो गये और कहा कि भाई बात तो यह सही है कि हंसिनी हंस की ही पत्नी है, लेकिन ये हंस और हंसिनी तो अभी थोड़ी देर में इस गाँव से चले जायेंगे.'

'हमारे बीच में तो उल्लू को ही रहना है.'

'इसलिए फैसला उल्लू के ही हक में ही सुनाना चाहिए!'

'फिर पंचों ने अपना फैसला सुनाया और कहा कि सारे तथ्यों और सबूतों की जांच करने के बाद यह पंचायत इस नतीजे पर पहुंची है कि हंसिनी उल्लू की ही पत्नी है और हंस को तत्काल गाँव छोड़ने का हुक्म दिया जाता है!'

'यह सुनते ही हंस हैरान हो गया और रोने, चीखने और चिल्लाने लगा कि पंचायत ने गलत फैसला सुनाया।'

'उल्लू ने मेरी पत्नी ले ली!'

'रोते- चीखते जब वह आगे बढ़ने लगा तो उल्लू ने आवाज लगाई - ऐ मित्र हंस, रुको!'

'हंस ने रोते हुए कहा कि भैया, अब क्या करोगे ??'

'पत्नी तो तुमने ले ही ली, अब जान भी लोगे ?'

'उल्लू ने कहा- नहीं मित्र, ये हंसिनी आपकी पत्नी थी, है और रहेगी!'

'लेकिन कल रात जब मैं चिल्ला रहा था तो आपने अपनी पत्नी से कहा था कि यह इलाका उजड़ा और वीरान इसलिए है क्योंकि यहाँ उल्लू रहता है!'

'मित्र, ये इलाका उजड़ा और वीरान इसलिए नहीं है कि यहाँ उल्लू रहता है।'

'यह इलाका उजड़ा और वीरान इसलिए है क्योंकि यहाँ पर ऐसे पंच रहते हैं जो उल्लुओं के हकध में फैसला सुनाते हैं!'

'शायद ६५ साल की आजादी के बाद भी हमारे देश की दुर्दशा का मूल कारण यही है कि हमने उम्मीदवार की योग्यता न देखते हुए, हमेशा ये हमारी जाति का है. ये हमारी पार्टी का है के आधार पर अपना फैसला उल्लुओं के ही पक्ष में सुनाया है, देश कधे बदहाली और दुर्दशा के लिए कहीं न कहीं हम भी जिम्मेदार हैं!'

सम्मानार्थ प्रस्ताव आमंत्रित हैं

साहित्य जगत् में लोकप्रिय, विष्वसनीय एवं राष्ट्रीय स्तर पर चर्चित **विश्व हिंदी साहित्य सेवा संस्थान,** 2003 से लगातार साहित्यिकारों/पत्रकारों/समाजसेवियों/कलाकारों को सम्मानित करता आ रहा है. इस वर्ष निम्नांकित सम्मान प्रस्तावित है-

1–20 वर्ष से कम उम्र वालों के लिएः पं. नेहरु सम्मान, श्रीमती चन्द्रावती देवी स्मषति सम्मान, श्री गोरखनाथ दुबे स्मषति सम्मान, बचपना सम्मान **2–20 से 40 वर्ष के लिएः** काका कलाम सम्मान, कल्पना चावला सम्मान, निर्भया सम्मान, पत्रकारश्री **3–40 वर्ष से ऊपर के लिएः** डॉ. होमी जहांगीर भाभा सम्मान, पत्रकार रत्न, समाज शिरोमणि, काव्य शिरोमणि, साहित्य शिरोमणि, **4-सभी आयु वर्ग के लिएः** विशिष्ट हिन्दी सेवी/हिंदी सेवी सम्मान, **राष्ट्रभाषा सम्मान, राजभाषा सम्मान, शिक्षकश्री, विधिश्री,** 5-समग्र साहित्य के लिए संस्थान की सबसे बड़ी उपाधियां क्रमश : साहित्य रत्न(डी.लिट), साहित्य गौरव(डाक्टरेट/पीएचडी), साहित्यश्री हैं.

अन्य किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए ईमेल करे, या व्हाट्सएप करेंः

अंतिम तिथिः 15 दिसम्बर 2021

चतुर्थ लघु कथा प्रतियोगिता

पुरस्कार राशि 5000/रुपये मात्र

देश-विदेश का कोई भी लेखक इसमें प्रतिभाग कर सकता है. इस प्रतियोगिता में उम्र का कोई बंधन नहीं है. आपको अपनी एक लघु कथा पठनीय हस्तलिपि अथवा टंकित कराकर भेजनी होगी। रचना के साथ अपना पूरा नाम, पता, एक फोटो, ह्वाट्सएप नंबर अगर ई-मेल हो ईमेल आईडी भेजना होगा। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि लघु कथा 300 (तीन सौं) शब्दों से अधिक की न हो.

नियम एवं शर्तेः

1. रचना मौलिक होनी चाहिए. इसके लिए मौलिकता का प्रमाण देना आवश्यक होगा। किसी भी स्तर पर मौलिकता में कमी सिद्ध होने पर प्रतिभागिता रद्द कर दी जाएगी। 2. प्रतियोगिता तीन चरणों में होगी. प्रत्येक चरण के विजयी प्रतिभागियों को ह्वाट्स समूह, ई-मेल के माध्यम से जानकारी दी जाएगी. 3. प्रथम चरण के प्रतिभागियों को विश्व स्नेह समाज की मासिक पत्रिका एक वर्ष की सदस्यता निःशुल्क दी जाएगी। 4. द्वितीय चरण के लिए चयनित प्रतिभागियों को विश्व स्नेह समाज की मासिक पत्रिका दो वर्ष की सदस्यता निःशुल्क दी जाएगी। 5. तृतीय एवं अंतिम चरण के लिए एक रचनाकार का चयन किया जाएगा. जिसे इलाहाबाद में आयोजित होने वाले साहित्य मेला में पुरस्कार राशि और प्रमाण पत्र स्वयं उपस्थित होकर ग्रहण करना होगा। विजेता को विश्व स्नेह समाज की मासिक पत्रिका पंचवर्षीय सदस्यता निःशुल्क दी जाएगी। 6. प्रतिभागियों को मांगे गये विवरण के साथ रुपये दो सौ पचास का चेक/डीडी/आरटीजीएस/नेफ्ट/आन लाईन अथवा`सीधे संस्थान के खाते में जमा कर जमा रसीद की प्रति भेजना अनिवार्य होगा। खाता धारक का नामः **'सचिव विश्व हिन्दी साहित्य सेवा संस्थान, इलाहाबाद'**

बैंक का नाम : **युनियन बैंक ऑफ इंडिया** शाखा : **प्रीतम नगर, इलाहाबाद,** खाता संख्याः **538702010009259**

आई.एफ.एस. कोडः यूबीआईएन 0553875

रजत जयंति आयोजन

संस्थान जून 2021 में अपना 25 वर्ष पूर्ण कर रहा है। इस अवसर पर दो दिवसीय वृहद आयोजन किया जाएगा.

प्रथम दिन, दिन सोमवार, 14.06.2021

-संस्थान के कुलगीत का लोकार्पण
-संस्थान की वेबसाईट का लोकार्पण
-संस्थान की रजत जयंति स्मारिका का विमोचन
-काव्य सम्राट प्रतियोगिता-2019–20
-सारस्वत सम्मान 2019–20
-श्री पवहारी शरण द्विवेदी स्मृति न्यास द्वारा सारस्वत सम्मान
-मीडिया फोरम ऑफ इंडिया न्यास द्वारा सारस्वत सम्मान

दूसरे दिन दिन मंगलवार,15.06.2021

-संस्थान नवनिर्मित निज पुस्तकालय एवं वाचनालय का उदघाटन
-संस्थान के पदाधिकारियों/हिन्दी सांसदो एवं सदस्यों परिचय सत्र
-संस्थान के पदाधिकारियों/हिन्दी सांसदो एवं सदस्यों की काव्य, चित्रकला, काव्य अतांकक्षरी प्रतियोगिता, नृत्य एवं गायन प्रतियोगिता

इस आयोजन में 25 प्रतिभाओं (साहित्य/समाज सेवा/कला/संस्कृति) को संस्थान की उपाधियों / सारस्वत सम्मानों से सम्मानित किया जाएगा। आप सभी गण रजत जंयति स्मारिका के लिए सशुल्क शुभकामनाएं, अपने प्रकाशनों का प्रचार-प्रसार, विज्ञापन, चंदा के माध्यम से यथा सम्भव सहयोग प्रदान करें। संस्थान के पदाधिकारियों/सदस्यों के लिए सामूहिक आवास एवं भोजन की व्यवस्था संस्थान करेहिन्दी सांसदो एवं सदस्योंतथा एक स्मारिका का प्रकाशन भी किया जाएगा. अगर आप इस समारोह में प्रतिभाग करना चाहते हैं तो अपना पंजीकरण ई-मेल के माध्यम से पंजीकरण प्रपत्र प्राप्त कर ३० अप्रैल २०२१ तक करा सकते है। सभी पंजीकृत प्रतिभागियों को सहभागिता प्रमाण पत्र व उपहार सामग्री प्रदान की जाएगी.

सचिव, विश्व हिन्दी साहित्य सेवा संस्थान,
एल.आई.जी–93, नीम सराय कॉलोनी, मुण्डेरा, इलाहाबाद-211011, ह्वाटसएप नं०: 9335155949, sahityaseva@rediffmail.com, hindiseva15@gmail.com

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक एवं संपादक गोकुलेश्वर कुमार द्विवेदी द्वारा एकेडेमी प्रेस, से मुद्रित तथा एल. आई.जी. 93, नीम सराय कॉलोनी, मुण्डेरा, इलाहाबाद से प्रकाशित।